संचार और सूचना प्रौद्योगिकी
संबंधी स्थायी समिति (2022-23)

45

सत्रहवीं लोक सभा

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

पैंतालीसवाँ प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023/ फाल्गुन, 1944 (शक)

पैंतालीसवाँ प्रतिवेदन

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

21.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
21.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023/ फाल्गुन, 1944 (शक)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री प्रतापराव जाधव - सभापति

लोक सभा

2. श्रीमती सुमलता अम्बरीश
3. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
4. डॉ. निशिकांत दुबे
5. सुश्री सुनीता दुग्गल
6. श्री जयदेव गल्ला
7. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
8. डॉ. सुकान्त मजूमदार
9. सुश्री महुआ मोइत्रा
10. श्री पी. आर. नटराजन
11. श्री संतोष पान्डेय
12. कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठौर
13. डॉ. जी. रणजीत रेड्डी
14. श्री संजय सेठ
15. श्री गणेश सिंह
16. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
17. श्री शत्रुघ्न सिन्हा
18. श्री तेजस्वी सूर्या
19. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन
20. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद
21. श्री एस.जगतरक्षकन

राज्य सभा

22. डॉ. अनिल अग्रवाल
23. डॉ. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी
24. डॉ. जॉन ब्रिटास
25. श्री सैयद नासिर हुसैन
26. श्री इलयराजा
27. श्री जग्गेश
28. श्री प्रफुल्ल पटेल
29. श्री कार्तिकेय शर्मा
30. श्री जवाहर सरकार
31. श्री लहर सिंह सिरोया

सचिवालय

1. श्री सतपाल गुलाटी	-	संयुक्त सचिव
2. श्रीमती ए. ज्योतिर्मयी	-	निदेशक
3. श्री अभिषेक शर्मा	-	सहायक कार्यकारी अधिकारी

समिति का समाचार भाग - दो, दिनांक 4 अक्टूबर, 2022 के पैरा संख्या 5288 के तहत 13 सितंबर, 2022 को गठन।

प्राक्कथन

मैं, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' के संबंध में समिति का यह पैंतालीसवाँ प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का गठन 13 सितंबर, 2022 को किया गया था। लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331ड़ में यथा निर्धारित स्थायी समिति के कृत्यों में से एक संबंधित मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करना और संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है ।

3. समिति ने वर्ष 2023-24 हेतु इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर विचार किया, जिन्हें 8 फरवरी, 2023 को सभा पटल पर रखा गया था। समिति ने 14 फरवरी, 2023 को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 17 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

5. समिति इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होने और समिति द्वारा अनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में वांछित सूचना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उनका धन्यवाद करती है ।

6. समिति लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए उनका भी धन्यवाद करना चाहेगी ।

7. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से, समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग- दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
17, मार्च 2023
26 **, फाल्गुन 1944 (शक)**

प्रतापराव जाधव,
सभापति,
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी
संबंधी स्थायी समिति।

भाग-एक

प्रतिवेदन

1. <u>प्रस्तावना</u>

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की जिम्मेदारी सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं इंटरनेट (इंटरनेट सेवा प्रदाता को लाईसेंस प्रदान करने के अतिरिक्त सभी मामले) के क्षेत्रा में राष्ट्रीय नीतियों को बनाना,लागू करना तथा उनकी समीक्षा करना है। इसका विजन एक विकसित राष्ट्र तथा सशक्त समाज के तौर पर विकसित करने हेतु परिवर्तन संचालक के तौर पर भारत का ई-विकास करना है। लक्ष्यों में नागरिकों के सशक्तीकरण हेतु ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रॉनिकी, आईटी एवं आईटीईएस उद्योगों के समावेशी एवं चिरस्थायी विकास को बढ़ावा देना, इंटरनेट गवर्नेंस में भारत की भूमिका को सुधारना,एक ऐसा बहुशाखीय दृष्टिकोण अपनाना जिसमें मानव संसाधन का विकास करना, आर एवं डी तथा नवाचार को प्रोत्साहित करना, डिजिटल सेवाओं के माध्यम से क्षमता में सुधार लाना तथा एक सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करना शामिल है।

2. एमईआईटीवाई के उद्देश्यों को पूरा करने के मद्देनजर, एमईआईटीवी के अधिकार-क्षेत्रा के तहत, प्रत्यक्षतः या इनके उत्तरदायित्व केन्द्रों (संगठनों/संस्थानों) के माध्यम से, योजनाएं बनाई एवं क्रियान्वित की गई हैं। तकनीक को सुदृढ़ एवं अत्याधुनिक बनाने के लिए,शिक्षण संस्थानों तथा निजी/सार्वजनिक क्षेत्रा के साथ सहकार्यता की संभावनाऐं भी तलाशी गई हैं।

3. एमईआईटीवाई के पास आबंटित कार्य करने के लिए दो संलग्न कार्यालय (अर्थात्, एनआईसी, एसटीक्यूसी), छः स्वायत्त सोसाइटियां (अर्थात्, सीडैक, सीमैट, नाइलिट, समीर, एसटीपीआई तथा अर्नेट इंडिया), तीन धारा 8 कंपनियाँ (अर्थात् एनआईसीएसआई, एनआईएक्सआई तथा डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी), तीन संवैधानिक संगठन (अर्थात् सीसीए, आईसीईआरटी तथा यूआईडीएआई) तथा अपने स्व-प्रभार के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी (अर्थात्, सीएससी ई-गर्वनेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड) है।

2. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2022-23) पर समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

4. वर्ष 2022-23 के लिए एमईआईटीवाई की 'अनुदानों की मांगें' विषय पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का पैंतीसवां प्रतिवेदन 21 मार्च, 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था/ राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। विभागों से संबंद्ध स्थायी समितियों (डीआरएससी) की प्रक्रिया नियमों के नियम 34(1) के अंतर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह के भीतर संबंधित मंत्रालय/विभाग को समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। अनुदानों की मांगें (**2022-23)** पर पैंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी **42**वां प्रतिवेदन **9** फरवरी**, 2023** को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था/ राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। अपने **42**वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई **18** सिफारिशों में से **16** को स्वीकार कर लिया गया था। **01** सिफारिश का उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया

था और इसे दोहराया गया था। **01** उत्तर अंतरिम प्रकृति का था। **42**वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर अंतिम कार्रवाई विवरण मई**, 2023** तक देय होगा।

3. **बजट विश्लेषण**

(i) वर्ष 2023-24 **के लिए एमईआईटीवाई की अनुदान की मांग संख्या** 27

5. **पिछले, वर्तमान और अगले वित्तीय वर्षों के दौरान बजटीय आवंटन और उपयोग निम्नानुसार है:**

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**प्रस्तावित**	**बीई**	**आरई**	**वास्तविक उपयोग**	**आरई के संबंध में प्रतिशत उपयोगिता**	**बीई के संबंध में प्रतिशत उपयोगिता**
2021-22	**13,886.00**	**9720.66**	**9581.25**	**8256.27**	**86.17**	**84.94**
2022-23	**16,223.21**	**14,300.00**	**11,719.95**	**6060.38 (31.01.2023 तक की स्थिति के अनुसार)**	**51.71**	**42.38**

2023-24	21,564.42	16,549.04				

6. वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित बजटीय सहायता 16,223.21 करोड़ रुपये थी और बजट अनुमान स्तर पर आबंटित राशि 14,300.00 करोड़ रुपये थी, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 11,719.95 करोड़ रुपये कर दिया गया। दिनांक 31.01.2023 तक वास्तविक उपयोग 6060.38 करोड़ रुपये रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान, प्रस्तावित बजटीय सहायता 21,564.42 करोड़ रुपये थी और बजट अनुमान स्तर पर आबंटित राशि 16,549.04 करोड़ रुपये थी। 2022-23 के दौरान आरई (51.71%) के सापेक्ष उपयोग में भारी कमी आई है।

7. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उपयोगिता में कमी, जो आरई के संबंध में 51.71 प्रतिशत है, के विषय में पूछे जाने पर मंत्रालय ने जानकारी दी कि:

> "केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के मद्देनजर वित्त वर्ष 2022-23 की पहली दो तिमाहियों के दौरान कोई पर्याप्त राशि जारी नहीं की जा सकी। हालाँकि, तीसरी तिमाही के दौरान व्यय की गति में तेजी आई और जनवरी 2023 के अंत तक एमईआईटीवाईआरईआबंटन का 51.71% उपयोग कर सका। एमईआईटीवाईऍसी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत वितरण प्रस्तावों की प्राप्ति के मद्देनजर मार्च 2023 के अंत तक आरई2022-23 में आबंटित धन का पूर्ण उपयोग का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काफी आशान्वित है जिनकी वर्तमान में आवश्यक वितरण के लिए जांच की जा रही है।"

8. इस प्रश्न के उत्तर में कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान के स्तर पर आबंटन को प्रस्तावित 21,564.42 करोड़ रुपये से घटाकर 16,549.04 करोड़ रुपये किए जाने के क्या कारण हैं, मंत्रालय ने जानकारी दी कि एमओएफ़ आमतौर पर चल रही योजनाओं के बजटीय प्रावधान को 5-7% तक बढ़ाने की नीति पर कायम है। हालांकि, बजट

अनुमान 2022-23 की तुलना में बजट अनुमान 2023-24 (2249 करोड़ रुपये की राशि) में लगभग 16% की वृद्धि हुई है।

9. **आगे, यह जानकारी दी गई कि जबकि एमईआईटीवाईको 21,564.42 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आबंटन में से 16,549.04 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं फिर भी एमईआईटीवाई ने सभी योजनाओं की मांग और प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं और गैर-योजनाओं के बीच राशि वितरित की है। इसलिए, फंड की कोई संभावित कमी नहीं होगी और इस घटे हुए आबंटन के कारण एमईआईटीवाईकी गतिविधियों के प्रभावित होने की संभावना नहीं है। फिर भी, यदि स्थिति की आवश्यकता होती है, तो एमईआईटीवाई वित्त मंत्रालय से संशोधित अनुमान स्तर पर अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से योजनाओं/गैर-योजनाओं के सुचारु कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त आबंटन के लिए अनुरोध करेगा।**

10. **यह पूछे जाने पर कि कैसे केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए धन के प्रवाह केलिए संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022-23 की पहली दो तिमाहियों केदौरान व्यय की गति किस प्रकार धीमी हो गई है, मंत्रालय ने जानकारी दी कि-**

"भारत सरकार ने दिनांक 01.04.2022 से केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया लागू की है। इस संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप इस प्रक्रिया की कुछ आवश्यक और अनिवार्य विशेषताओं के कारण वित्त वर्ष 2022-23 की पहली दो तिमाहियों के दौरान व्यय की गति धीमी हो गई थी। प्रारंभ में व्यय की गति को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

- **चूंकि निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के दिशानिर्देशों के अनुसार एमईआईटीवाई केवल केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को लागू कर रहा है, सभी योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था, अर्थात मॉडल- I (500 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक परिव्यय) और मॉडल -II (वार्षिक परिव्यय रु. 500 करोड़ तक का वार्षिक परिव्यय)**

- **मॉडल-I योजनाओं के लिए प्रमुख कार्य बिंदु**

  - **500 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक परिव्यय वाली प्रत्येक योजना के लिए एक स्वायत्त निकाय को केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में नामित करना**
  - **आरबीआई के साथ ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) खाता खोलने के लिए संबंधित स्वायत्त निकाय को सूचना**
  - **500 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक परिव्यय वाली योजनाओं के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित स्वायत्त निकायों द्वारा टीएसए (असाइनमेंट खाता) खोलना**
  - **ऐसी उप-एजेंसियों (एसए) की एक सूची तैयार करना, जो प्रत्येक सीएनए के तहत क्रमबद्ध नीचे परियोजना/योजना के कार्यान्वयन में शामिल हैं**
  - **ई-कुबेर में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ स्वायत्त निकायों/उप स्वायत्त निकायों के असाइनमेंट खातों को खोलना**
  - **पीएफएमएस में आरबीआई खातों की मैपिंग**
  - **पीएफएमएस में समनुदेशन खातों का अनुमोदन**
  - **यह सुनिश्चित करना कि सीएनए और एसए के बैंक खाते में उपलब्ध योजना के तहत पिछली रिलीज की अप्रयुक्त राशि भारत के समेकित कोष में जमा की जाती है।**

- **मॉडल-II योजनाओं के लिए प्रमुख कार्य बिंदु**

  - **500 करोड़ रुपये से कम वार्षिक परिव्यय वाली योजनाओं के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) का चयन**
  - **सरकारी कारोबार करने के लिए प्राधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में प्रत्येक सीएस योजना के लिए केंद्रीय नोडल खाता खोलने के लिए संबंधित स्वायत्त निकाय को सूचना**
  - **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में केंद्रीय नोडल खाता खोलना**
  - **योजना के कार्यान्वयन में शामिल उप एजेंसियों (एसए) की सूची तैयार करना और संबंधित सीएनए को इसकी सूचना देना**
  - **पीएफएमएस में केंद्रीय नोडल खाते की मैपिंग**
  - **पीएफएमएस में केंद्रीय नोडल खाते की स्वीकृति**

- **यह सुनिश्चित करना कि सीएनए को धनराशि जारी करने से पहले योजना के तहत पिछले रिलीज की पूरी अव्ययित राशि सभी एसए द्वारा संबंधित सीएनए के केंद्रीय नोडल खाते में वापस कर दी गई है**

संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए सीएनए और एसए पर जोर डालने और नई प्रणाली/प्रक्रिया से खुद को परिचित कराने के लिए कई बैठकें की गईं। इसके अलावा, एक योजना के तहत बड़ी संख्या में कार्यान्वयन एजेंसियों की भागीदारी को देखते हुए, मॉडल-I योजनाओं में भारत की समेकित निधि और मॉडल- IIमें केंद्रीय नोडल खाते में अव्ययित शेष को वापस करने के लिए उनके साथ समन्वय करने में कुछ समय लगा। कार्यक्रम प्रभागों, कार्यान्वयन एजेंसियों, वेतन एवं लेखा कार्यालय, लेखा महानियंत्रक कार्यालय, पीएफएमएस और वित्त मंत्रालय से जुड़े इन सभी कार्रवाई बिंदुओं ने पहली दो तिमाहियों के दौरान व्यय की गति में देरी की।"

(ii) राजस्व अनुभाग

11. **वर्ष** 2021-22, 2022-23 **और** 2023-24 **के दौरान मंत्रालय को बजटीय आवंटन निम्नानुसार है:-**

(करोड़ रुपये में)

	वास्तविक (2021-22)	**प्रस्तावित (2022-23)**	**बीई (2022-23)**	**आरई (2022-23)**	**वास्तविक (2022-23)** (31.01.2023 **तक**)	**प्रस्तावित (2023-24)**	**बीई (2023-24)**
राजस्व	**7904.50**	**15,764.21**	**13911.99**	**11443.49**	**5859.41**	**21198.74**	**16180.36**
पूँजी	**351.77**	**459.00**	**388.01**	**276.46**	**200.97**	**365.68**	**368.68**
कुल	**8256.27**	**16,223.21**	**14300.00**	**11719.95**	**6060.38**	**21564.42**	**16549.04**

12. **वर्ष 2022-23 के दौरान संशोधित अनुमान स्तर पर राजस्व शीर्षके तहत की गई आबंटन में अत्यधिक कमी के कारणों के संबंध में मंत्रालय ने जानकारी दी कि:-**

> **"संशोधित अनुमान स्तर पर वित्त मंत्रालय द्वारा बजटीय कटौती को देखते हुए लगभग 2468.50 करोड़ रुपये के आबंटन में कमी की गई है। बजट में कटौती मुख्य रूप से पहली दो तिमाहियों में केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए धन के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के मद्देनजर व्यय की धीमी गति के कारण हुई थी। इसके अलावा, एमईआईटीवाई को प्रोत्साहन योजनाओं (इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण और पीएलआई योजनाओं का प्रचार) के संबंध में प्रत्याशित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए क्योंकि आवेदक आपूर्ति श्रृंखला में कोविड के परिणामस्वरूप उत्पन्न व्यवधान के कारण थ्रेशहोल्ड हासिल करने में असमर्थ थे।"**

13. **राजस्व शीर्ष के तहत बजट अनुमान** 2022-23 **और बजट अनुमान** 2023-24 **के बीच अंतर के कारणों के बारे में मंत्रालय ने निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की:-**

> **"राजस्व प्रावधान को बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में बजट अनुमान 2023-24 में 2268.37 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। बीई 2023-24 में बढ़ा हुआ प्रावधान मुख्य रूप से भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम के लिए किए गए 3000 करोड़ रुपये के आबंटन के कारण है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) के लिए भारत को ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करने के लिए 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस व्यापक कार्यक्रम को मंजूरी दी है । इस कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैनुफैक्चरिंग के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं शामिल हैं।"**

(i) <u>**पूंजी खंड**</u>

14. **यह पूछे जाने पर कि 2022-23 के दौरान संशोधित अनुमान चरण में किए गए आबंटन में वृद्धि/कमी के कारण तथा इसके प्रभाव क्या हैं, मंत्रालय ने जानकारी दी कि:-**

"संशोधित अनुमान 2022-23 में पूंजी प्रावधान में 111.55 करोड़ रुपये की कमी की गई है। कोविड-19 और मेक-इन-इंडिया प्रतिबंधों के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय विक्रेताओं द्वारा माइक्रो-चिप्स और अन्य मशीनरी और उपकरणों की आपूर्ति नहीं होने के कारण व्यय की धीमी गति के कारण इस प्रावधान में कटौती की गई थी।"

15. **पूंजी शीर्ष के तहत बीई 2022-23 और बीई 2023-24 के बीच अंतर के कारणों के विषय में मंत्रालय ने जानकारी दी कि:-**

"बीई 2023-24 में पूंजीगत प्रावधान को बीई 2022-23 में उपलब्ध कराए गए पूंजी प्रावधान से 19.33 करोड़ रुपये घटा दिया गया है। हालांकि भिन्नता काफी नगण्य है, फिर भी कमी एनआईसी द्वारा मशीनरी और उपकरणों के लिए धन की कम आवश्यकता के कारण थी क्योंकि उनकी सेवाएं पीपीपी मोड पर प्रदान की जाएंगी ।"

16. 2020-21 से **2022-23** तक बजट अनुमान**,** संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय तथा **2023-24** के बजट अनुमान का योजना-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र सं	योजना/गैर-योजनाएं	2020-21			2021-22			2022-23			2023-24	
		बीई	आरई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक	प्रस्तावित	बी ई
1	सचिवालय (एमईआईटीवाई)	116.03	99.18	92.89	109.33	104.07	94.38	109.82	140.00	96.64	145.00	140.00
2	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)	1285.00	1300.00	1308.19	1400.00	1400.00	1353.43	1450.00	1463.45	1124.86	1600.00	1527.26

3	नियामक प्राधिकरण	**274.00**	**212.00**	**197.58**	**345.00**	**336.21**	**300.30**	**344.00**	**311.00**	**240.81**	**402.50**	**373.50**
3.1	एसटीक्यूसी कार्यक्रम	125.00	114.00	99.14	120.00	114.91	102.05	120.00	120.00	94.15	139.50	135.50
3.2	साइबर सुरक्षा (सीईआरटी-इन), एनसीसीसी और डेटा गवर्नेंस	60.00	140.00	90.00	216.00	213.30	193.70	215.00	180.00	139.85	250.00	225.00
3.3	प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक (सीसीए)	9.00	8.00	6.71	9.00	8.00	4.55	9.00	11.00	6.81	13.00	13.00
	योजनाएं											
4	डिजिटल इंडिया कार्यक्रम	**3958.00**	**3044.82**	**3030.54**	**6806.33**	**6388.00**	**4504.36**	**5376.18**	**5400.50**	**2100.96**	**7957.92**	**4795.24**
4.1	ईएपीसहितइलेक्ट्रॉनिक शासन	425.00	415.82	404.99	425.00	535.00	312.39	525.00	525.00	500.64	559.72	555.74
4.2	जनशक्ति विकास	430.00	190.00	190.00	400.00	400.00	272.26	350.00	250.00	78.64	-	-
4.3	राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	400.00	584.00	584.00	500.00	500.00	500.00	650.00	485.25	485.12	495.52	352.00
4.4	इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर एमएफजी को प्रोत्साहन (एम सिप्स, ई डी एफ़और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर)	980.00	700.00	478.62	2631.32	2014.00	1193.02	2403.00	1199.00	201.69	3500.00	700.00
4.5	आईटी और आईटीईएस उद्योगों का प्रचार	170.00	100.00	98.55	150.00	100.00	69.80	100.00	89.25	49.33	285.08	150.00
4.6	साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एनसीसीसी और अन्य)	170.00	80.00	79.99	200.00	339.00	310.51	300.00	100.00	25.51	432.39	400.00

4.7	आईटी/इलेक्ट्रॉनिक्स/सीसीबीटी में अनुसंधान एवं विकास	762.99	425.00	420.91	700.00	700.00	502.04	598.17	365.00	349.18	967.22	600.00
4.8	पीएमजीदिशा	400.00	250.00	250.00	300.00	300.00	300.00	250.00	250.00	245.00	-	-
4.9	डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना	220.00	300.00	523.48	1500.00	1500.00	1044.34	200.00	2137.00	165.85	890.65	1500.00
4.10	चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	-	-
4.11	क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना										827.34	537.50
5	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं							**5300.00**	**2403.00**	**885.11**	**8355.00**	**7645.04**
5.1	भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम								200.00	0.00	3000.00	3000.00
5.2	उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)							5300.00	2203.00	885.11	5355.00	4645.04
6	**स्वायत्त और अन्य निकायों को सहायता**	**1266.00**	**894.00**	**894.00**	**1060.00**	**1352.97**	**2003.80**	**1720.00**	**2002.00**	**1612.00**	**3104.00**	**2068.00**
6.1	प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक)	127.00	127.00	127.00	200.00	217.00	217.00	250.00	250.00	181.00	270.00	270.00
6.2	इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र	50.00	40.00	40.00	80.00	78.00	60.00	100.00	100.00	100.00	120.00	110.00

6.3	सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्स इंजी एंड रिसर्च (समीर)	98.00	88.00	88.00	120.00	116.00	116.00	150.00	140.00	117.00	160.00	160.00
6.4	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई)	985.00	613.00	613.00	600.00	884.97	1564.80	1110.00	1110.00	1110.00	1800.00	940.00
6.5	डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी)	6.00	6.00	6.00	10.00	9.00	9.00	10.00	10.00	0.00	11.00	11.00
	भास्कराचार्यराष्ट्रीय अंतरिक्षअनुप्रयोग औरभू-सूचनासंस्थान		20.00	20.00	50.00	48.00	37.00	100.00	72.00	0.00	44.00	44.00
6.6	सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल)								320.00	104.00	699.00	533.00
	कुल योग	**6899.03**	**5550.00**	**5523.20**	**9720.66**	**9581.25**	**8256.27**	**14300.00**	**11719.95**	**6060.38**	**21564.42**	**16549.04**

17. वर्ष **2022-23** के दौरान बजट अनुमान से संशोधित अनुमान में अंतर के कारणों के साथ-सथ वर्ष **2022-23** के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारी कमी दर्शाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत करते हुए, मंत्रालय ने निम्नानुसार सूचित किया:

"संशोधित अनुमान स्तर पर 2580.05 करोड़ रुपये के आबंटन में कमी की गई है। भिन्नता मुख्य रूप से केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए धन के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के मद्देनजर पहली दो तिमाहियों में व्यय की कम गति के कारण है। इसके अलावा, एमईआईटीवाई को प्रोत्साहन योजनाओं (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण और पी एल आई योजनाओं का प्रचार) के संबंध में प्रत्याशित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए क्योंकि आवेदक आपूर्ति श्रृंखला में कोविड व्यवधान के कारण सीमा हासिल करने में असमर्थ थे।**"**

18. योजनाओं के लिए वर्ष **2022-23** और **2023-24** के लिए बजट अनुमान स्तर पर धन के आवंटन में अंतर के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने जानकारी दी कि:-

> "योजनाओं के संबंध में 2023-24 में बजट अनुमान आबंटन 1764.10 करोड़ रुपये (बजट अनुमान 2022-23 में 10676.18 करोड़ रुपये से बढ़ाकर बजट अनुमान 2023-24 में 12440.28 करोड़ रुपये) कर दिया गया है। फंड के आबंटन में अंतर 'भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम ' के लिए निर्धारित अधिक आबंटन के कारण है।"

19. उन योजनाओं, जिन्हें वर्ष **2023-24** के दौरान प्राथमिकता दी गई, के संबंध में समिति को मंत्रालय द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया:-

> "वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, एमईआईटीवाई उभरती हुई प्रौद्योगिकी के प्रसार और अवशोषण को प्राथमिकता देगा और आर एंड डी परियोजनाओं का समर्थन करके आवश्यक आर एंड डी अवसंरचना और वैज्ञानिक और तकनीकी मानव पूंजी का निर्माण करेगा। बढ़ते डिजिटल लेन-देन को देखते हुए एमईआईटीवाई के लिए

महत्व का एक अन्य क्षेत्र साइबर सुरक्षा परियोजनाएं हैं। सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल) के आधुनिकीकरण के साथ-साथ पीएलआई योजनाओं के तहत प्रोत्साहनों के समय पर वितरण पर भी ध्यान दिया जाएगा। यह सूचित किया जाता है कि एससीएल को 2022-23 में अंतरिक्ष विभाग से एमईआईटीवाई में स्थानांतरित कर दिया गया था और संशोधित अनुमान 2022-23 में इसके लिए 320 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।"

(ii) <u>बकाया यूसी की स्थिति और राज्यों की कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष राशि</u>

20. 31 जनवरी 2023 को बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र और अव्ययित शेष की स्थिति के विषय में मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी प्रदान की है:-

	राशि (करोड़ रुपये में)	**यूसीकीसंख्या**
उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया है	355.55	131
अव्ययित शेष जिस के लिए यूसी देय नहीं हैं	3177.10	465
राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों के पास कुलअव्ययित शेष	**3532.65**	**596**

21. राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा समय पर यूसी प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करते समय मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:-

"मंत्रालय द्वारा अनुदानग्राही निकायों द्वारा समय पर यूसी जमा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं और ये उपाय शून्य लंबित यूसी और न्यूनतम अव्ययित शेष की ओर बढ़ने में उपयोगी साबित हो रहे हैं:

- एमईआईटीवाई विभिन्न परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी/समीक्षा

कर रहा है जो आगे यह सुनिश्चित करता है कि एमईआईटीवाई द्वारा जारी अनुदान का उचित और उत्पादक तरीके से उपयोग किया जा रहा है।

- सचिव और वित्तीय सलाहकार (एमईआईटीवाई) विभिन्न एजेंसियों को जारी अनुदानों की उपयोग स्थिति का पता लगाने के लिए समय-समय पर यूसी स्थिति की समीक्षा करते हैं।
- निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के साथ (01.04.2022 से), उप-एजेंसी स्तर पर निधियों के वास्तविक उपयोग की निगरानी पीएफएमएस के माध्यम से की जा रही है।
- अनुदानग्राही निकायों को उनके पास अव्ययित शेष राशि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किस्तों में अनुदान जारी किया जाता है।
- परियोजना समीक्षा और संचालन समिति (पीआरएसजी) अनुमोदन के अनुसार परियोजना की प्रगति और धन के उपयोग की निगरानी और मूल्यांकन करती है और वित्तीय सहायता जारी करने के लिए सिफारिशें करती है"।

1.4.2022 और 06.02.2023 को लंबित यूसी की परिसमापन स्थिति नीचे दी गई लंबित यूसी को कम करने के लिए एमईआईटीवाई द्वारा किए जा रहे उपयोगी उपायों का संकेत है और इस तरह शून्य लंबित यूसी की ओर बढ़ रहा है।

	01.04.2022 तक की स्थिति के अनुसार	**06.02.2023 तक की स्थिति के अनुसार**	**अंतर / परिसमापन**	**परिसमापन का %**
लंबित यूसी की संख्या	475	131	344	72.42%
बकाया राशि (रुपये करोड़ में)	1687.88	355.55	1332.33	78.93%

22. वर्ष 2023-24 के दौरान यूसी की संख्या को कम करने और कार्यान्वयन एजेंसियों से जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा परिकल्पित नए उपायों पर मंत्रालय ने बताया कि:-

"मंत्रालय द्वारा अनुदानग्राही निकायों द्वारा समय पर यूसी जमा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं और ये उपाय शून्य लंबित यूसी और न्यूनतम अव्ययित शेष की ओर बढ़ने में उपयोगी साबित हो रहे हैं:

- एमईआईटीवाई विभिन्न परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी/समीक्षा कर रहा है जो आगे यह सुनिश्चित करता है कि एमईआईटीवाई द्वारा जारी अनुदान का उचित और उत्पादक तरीके से उपयोग किया जा रहा है।

- सचिव और वित्तीय सलाहकार (एमईआईटीवाई) विभिन्न एजेंसियों को जारी अनुदानों की उपयोग स्थिति का पता लगाने के लिए साप्ताहिक आधार पर यूसी स्थिति की समीक्षा करते हैं।

- वित्तीय वर्ष के अंत में 1 अप्रैल, 2022 से लागू की जा रही निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, मॉडल I योजनाओं (वार्षिक होने वाली) के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों के पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि समाप्त हो जाएगी (500 करोड़ से अधिक का वित्तीय परिव्यय)। हालांकि, मॉडल- II योजनाओं (500 करोड़ से कम वार्षिक वित्तीय परिव्यय वाली) के मामले में , अप्रयुक्त धन संबंधित योजनाओं के केंद्रीय नोडल खाते में रहेगा और मौजूदा निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों को उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधियों की कोई पार्किंग नहीं होगी। सभी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों/विक्रेताओं को जारी की जाने वाली राशि 'सही समय पर' होगी।

- परियोजना समीक्षा और संचालन समिति (पीआरएसजी) अनुमोदन के अनुसार परियोजना की प्रगति और धन के उपयोग की निगरानी और मूल्यांकन करती है और वित्तीय सहायता जारी करने के लिए सिफारिशें करती है"।

क. <u>राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)</u>

23. वर्ष 1976 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना केंद्र सतत विकास के लिए डिजिटल अवसरों के प्रवर्तक के रूप में उभरा है। एनआईसी के पास पिछले 4 दशकों में आईसीटी और ई-गवर्नेंस सहायता प्रदान करने का समृद्ध अनुभव है। आईसीटी नेटवर्क, एनआईसीएनईटी की स्थापना करके, एनआईसी ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, 37 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और भारत के लगभग 741+ जिला प्रशासनों के साथ संस्थागत संबंधों की सुविधा प्रदान की है। एनआईसी ने खुद को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के मिशन और विजन के साथ जोड़ लिया है। मोबाइल,

क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स, बीआई और उन्नत जीआईएस सहित अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके सामान्य, विन्यास योग्य ई-गवर्नेंस उत्पादों /अनुप्रयोगों को विकसित किया गया है। अगले दशक में देश के डिजिटल परिवर्तन की राह में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने वाले राष्ट्रव्यापी डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं को मजबूत करने के लिए उत्कृष्टता के विभिन्न केंद्र बनाए गए हैं। एनआईसी नेशनल क्लाउड (मेघराज) वर्तमान में डिजिटल इंडिया के तहत 24,300 से अधिक वर्चुअल सर्वरों पर 1600 से अधिक ई-गवर्नेंस उपयोगकर्ताओं/ अनुप्रयोगों का समर्थन करने वाले कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों की मेजबानी कर रहा है। एनआईसी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा सरकारी अधिकारियों को दूर से और प्रभावी ढंग से एक दूसरे से जुड़ने में मदद कर रही है। वर्तमान में महामारी के बाद दूर से काम करने, घर से काम करने (वर्क फ्रॉम होम) की संस्कृति और अधिक ऑनलाइन सेवाओं की मांग के बाद के परिदृश्य में, एनआईसी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्मार्ट ई-गवर्नेंस समाधान प्रदान कर रहा है। एनआईसी ने महामारी के बाद के समय में आवश्यक सेवाओं को पूरा करने के लिए सरकार के लिए एक डिजिटल रूप से सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र को सफलतापूर्वक बनाया है। एनआईसी उत्पादों और सेवाओं की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, जिसमें कई देशों ने एनआईसी का समर्थन लेने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है।

24. वर्ष 2023-24 के लिए प्रदान किया गया बजट अनुमान 1527.26 करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के संबंध में बीई, आरई और वास्तविक व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**प्रस्तावित**	**बीई**	**आरई**	**वास्तविक**
2020-21	1700.00	1285.00	1300.00	1308.19
2021-22	1700.00	1400.00	1400.00	1353.43
2022-23	1500.00	1450.00	1463.45	1114.40*
2023-24	1600.00	1527.26	-	-

**31.01.2023 तक* की स्थिति के अनुसार

25. एनआईसी के कार्यों और लक्ष्यों के बारे में, मंत्रालय ने समिति को अवगत कराया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में सरकारी कार्यालयों के 1000 से अधिक एलएएन और 8000 से अधिक स्थानों पर 5 लाख से अधिक नोड्स शामिल हैं। एनआईसी के डेटा सेंटर सुरक्षित वातावरण में सरकार की 8000 से अधिक वेबसाइटों को होस्ट करते हैं। एनआईसी नेशनल क्लाउड (मेघराज) वर्तमान में डिजिटल इंडिया के तहत 1200 से अधिक ई-गवर्नेंस परियोजनाओं/उपयोगकर्ता विभागों का समर्थन करने वाले 20,000 से अधिक वर्चुअल सर्वर पर कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को होस्ट कर रहा है।

26. माननीय प्रधान मंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत के साथ, एनआईसी की भूमिका कई गुना बढ़ गई है। एनआईसी ने खुद को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के मिशन और विजन के साथ जोड़ा है। ग्रामीण विकास, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि, उद्योग और वाणिज्य, श्रम और रोजगार, न्यायपालिका, वित्त, शिक्षा आदिको कवर करने वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के लिए मोबाइल, क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स, बीआई और उन्नत जी आई एस सहित अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके सामान्य, कॉन्फ़िगर करने योग्य ई-गवर्नेंस उत्पाद / एप्लिकेशन विकसित किए गए हैं।

27. एनआईसी विभाग के कई मिशन मोड परियोजनाओं सहित विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। ई-न्यायालय, आभासी न्यायालय, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान रथ, ई-उर्वरक, ई-ट्रांसपोर्ट, ई-हॉस्पिटल, ई-ऑफिस , ई-वे बिल, सहकारी कोर बैंकिंग समाधान (सीसीबीएस), आप्रवासन वीजा विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी), राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, ई - काउंसलिंग, एनजीडीआरएस, जीईपीएनआईसी, ई-ऑक्शन इंडिया, दर्पण, परिवेश, सर्विसप्लस, ईएचआरएमएस, कोलैबडीडीएस , कोलैबकैड , एस 3 डब्ल्यूएएएस (सिक्योर्ड, स्केलेबल और सेवा के रूप में सुगम्य वेबसाइट), आदि एनआईसी द्वारा की गई कुछ प्रमुख आईसीटी पहल हैं।

28. एनआईसी के कुछ प्रमुख लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

परियोजना का नाम	लक्ष्य
ई-न्यायालय	• ई-न्यायालय परियोजना 25 उच्च न्यायालयों और इसकी पीठों और 3,067 जिला स्तरीय अदालतों में लागू की गई है। • मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) को ई- न्यायालय परियोजना के तहत विकसित किया गया है और देश के प्रत्येक न्यायालय में नियोजित किया गया है। सीआईएस के साथ-साथ ई कोर्ट पोर्टल (ecourts.gov.in, services.ecourts.gov.in, districts.ecourts.gov.in), मोबाइल ऐप, एसएमएस पुल एंड पुश, ऑटोमेटेड ईमेल, टच स्क्रीन इंफो कियोस्क, ई-पेमेंट, ई -फिलिंग, राष्ट्रीय न्यायपालिका डेटा ग्रिड (एनजेडीजी), जस्टिस ने भारतीय न्यायपालिका को आईसीटी सक्षम न्यायालयों में बदल दिया है। • एनजेडीजी के पास उच्च न्यायालयों और जिला स्तर के न्यायालयों के लगभग 10 करोड़ आदेशों और निर्णयों का भंडार है। • अदालतों में फुटफॉल कम करने के लिए वर्चुअल कोर्ट
ईअस्पताल	• सरकारी अस्पतालों में एकीकृत और इंटरऑपरेबल एप्लिकेशन • सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर (सास) मॉडल के माध्यम से उपलब्ध है। • ई- अस्पताल देश भर में 631+ से अधिक अस्पतालों में काम कर रहा है। • ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस) ने अपनी स्थापना के बाद से 48 लाख से अधिक नियुक्तियों की सुविधा प्रदान की है। अब तक 421+ से अधिक अस्पताल ऑन-बोर्ड हैं। 15 सितंबर से अब तक 23.27 करोड़ मरीज पंजीकृत हो चुके हैं।
ई-वे बिल	• जीएसटी के हिस्से के रूप में, ई-वे बिल पूरे भारत में माल की आसान आवाजाही प्रदान करता है। • 234 करोड़+ ई-वे बिल जनरेट हुए
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल	• छात्रों के लिए आवेदन, आवेदन प्राप्ति, प्रसंस्करण, स्वीकृति और छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति के वितरण से शुरू होने वाली सेवाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान। • कुल आवेदन 127.19 लाख (ताज़ा +नवीनीकरण) • पोर्टल के माध्यम से 2839 करोड़+ वितरित किए गए। • 104 योजनाएं ।
ई-खरीद	• 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और लगभग 600+ केंद्र सरकार के

	मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया। • स्थापना के बाद से 98.77 लाख इलेक्ट्रॉनिक निविदाओं के साथ कुल मिलाकर 147 लाख करोड़ रुपये की खरीद की गई है।
ई-मेल और एसएमएस गेटवे	• 30 लाख से अधिक सरकारी ई - मेल खाते। • 4.5 करोड़ से अधिकऔसत दैनिक ई-मेल ट्रैफिक • एसएमएस सेवाओं के लिए 2887 से अधिक सरकारी एप्लीकेशन जुड़े हुए हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग	• 1995 से वीसी सेवाएं। • देशभर में 2400+ स्टूडियो • 2021 में स्टूडियो उपयोग के 17 लाख + वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग घंटे • 3600वीआईपी वीसी सत्र ।
नेशनल क्लाउड एंड नेशनल डेटा सेंटर	• राष्ट्रीय क्लाउड के 1470 से अधिक उपयोगकर्ता और 22720 वर्चुअल सर्वर • दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, भुवनेश्वर में एनडीसी और मिनी डेटा केंद्र ।
आईवीएफआरटी	• विदेशों में 184 भारतीय मिशनों में आई वी एफ़ आर टी एप्लिकेशन लागू किए गए हैं। • ई-टूरिस्ट वीजा (ईटीवी) को 171 देशों, 28 हवाई अड्डों और 5 समुद्री बंदरगाहों में पेश किया गया है। • 97 लाख से अधिक ई-वीजा प्रदान किए गए हैं।
सरकारी लैन और एनकेएन	• 10 जीबीपीएस तक हाई-स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी । • दिल्ली सरकार के भवनों में 1,00,000 से अधिक नोड्स और राज्य सचिवालय भवनों में 5,00,000 से अधिक नोड्स को कवर करना। केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में वाईफाई के माध्यम से निकनेट तक पहुंच • 34/100 एमबीपीएस/1 जीबीपीएस लीज्ड सर्किट का उपयोग करके राज्यों की राजधानियों से जिलों तक नेटवर्क। • एनकेएन भारत का एकीकृत हाई-स्पीड बैकबोन नेटवर्क है जो ई-गवर्नेंस, रिसर्च और इंटरनेट के ट्रैफिक को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले जाता है। • एनकेएन से जुड़े लगभग 1752 संस्थान 5 करोड़ छात्रों, शोधकर्ताओं और फैकल्टी को सशक्त बना रहे हैं।
ई परामर्श	• प्रवेश प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए संयुक्त सीट आबंटन तंत्र पर आधारित संपूर्ण समाधान • 89 लाख+ आवेदन संसाधित • 38 परामर्श बोर्ड • 4500+ संस्थान

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)	• 737 सरकारीयोजनाएं • कुल लेनदेन (2021-22) 116.57 करोड़।
नरेगा सॉफ्ट	• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के तहत सभी गतिविधियों को पकड़ने के लिए एक वेब-सक्षम एमआईएस। • एसेट सृजित - 6.09 करोड़ • सक्रिय कार्यकर्ता - 15.23 करोड़
ई - परिवहन	वाहन और सारथी प्रणाली - • वाहन - 28.13 करोड़+ • सारथी -12.67 करोड़+
ई - कार्यालय	केंद्र सरकार के अंतर्गत
	(इकाइयों की संख्या जहां ई-ऑफिस लागू किया गया है)
	• मंत्रालय और विभाग - 315
	राज्य सरकार के अंतर्गत
	(इकाइयों की संख्या जहां ई-ऑफिस लागू किया गया है)
	• सचिवालय, जिला प्रशासन और अन्य - 401 • 11.3 करोड़+ ई- रसीद सृजित की गईं • 8.1 लाख+ ईफाइल उपयोगकर्ता
जीवन प्रमाण	• पेंशनभोगी द्वारा कभी भी कहीं भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) जमा करना • अब तक लगभग 556.83 लाख+ पेंशनर पंजीकृत हैं ।
मेरी सरकार	• नीति निर्माण और कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए अद्वितीय नागरिक जुड़ाव और क्राउडसोर्सिंग मंच
	• 222.64 लाख+ पंजीकृत सदस्य
	• 52.57 लाख+ 919 चर्चाओं पर टिप्पणियाँ
सर्विसप्लस	अपने इलाके में आम आदमी के लिए सभी सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाना • 33 राज्य, 2381 सेवाएं • 11.4 करोड़+ प्राप्तआवेदन • 9.08 करोड़+ वितरितआवेदन

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)	• टीपीडीएस पात्र लाभार्थियों को लागत प्रभावी, समय पर और लक्षित खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करता है। • 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र • 5.33 लाख+ उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) • 5.13 लाख+ पीओएस सक्षम एफपीएस • आधार के साथ 23.69 करोड़+ राशन कार्ड

29. वर्ष 2022-23 के दौरान बजट अनुमान से संशोधित अनुमान में आबंटन में वृद्धि के कारणों के संबंध में मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:-

"संशोधित बजट वर्ष 2022-23 के दौरान भारत के माननीय उच्चतम न्यायलय के निर्णय के आलोक में एनआईसी कर्मचारियों के बकाये के भुगतान के कारण बजट शीर्ष वेतन के तहत निधि में वृद्धि हुई है। दिनांक 03.02.2023 तक 1125.31 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है"।

30. वर्ष 2023-24 के दौरान एनआईसी के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उन्हें हासिल करने के लिए परिकल्पित उपायों के बारे में मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया: -

"एनआईसी का मुख्य फोकस नवीनतम अत्याधुनिक आईसीटी अवसंरचना उपलब्ध कराने पर है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) **केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, जिलों और अन्य सरकारी निकायों को ई-गवर्नेंस सहायता, अत्याधुनिक समाधान प्रदान करता है। एनआईसी केंद्र और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ सहयोग से डिजिटल प्लेटफॉर्म और एप्लिकेशन के विकास और** कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, **जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं की अंतिम-मील वितरण एक वास्तविकता बन जाती है।** बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए एनआईसी धीरे-**धीरे बुनियादी ढांचे में उन्नयन कर रहा है"।**

31. 2023-24 के दौरान बजट अनुमान में प्रस्तावित राशि और आवंटन के बीच अंतर के बारे में और मंत्रालय 2023-24 के दौरान निधि की पर्याप्त उपलब्धता कैसे सुनिश्चित करेगा, इस पर मंत्रालय ने बताया कि: -

"मुख्य रूप से कैपिटल बजट के तहत फंड की जरूरत को कम किया गया है। जिसके कारण जिलों में आईसीटी अवसंरचना का उन्नयन चरणबद्ध तरीके से धन की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा"।

32. एनआईसी में संसाधनों और जनशक्ति के लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने और इनके निपटान में तेजी लाने के लिए किए गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:-

"1407 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव (बाद में 1399 पर फिर से काम किया गया) 2014 से अनुमोदन के लिए लंबित है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया नीचे दिए गए पैरा-2 में उत्तर देखें। राज्यों में नवसृजित जिला केंद्रों में डीआईओ और एडीआईओ के स्तर की तकनीकी जनशक्ति की तैनाती की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनआईसी ने वर्ष 2022 में 212 नए पदों के सृजन के लिए एक अलग प्रस्ताव भी पेश किया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलनी बाकी है। उपरोक्त के अलावा, एनआईसी ने अधिवर्षिता, वीआरएस, इस्तीफे और मृत्यु आदि के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिएभर्ती के माध्यम से वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक-ए से वैज्ञानिक-एफ के स्तर के 754 एसएंडटी ग्रुप-ए और ग्रुप-ए पदों से नीचे (एमएमआर के तहत 598 एसएंडटी रिक्त पदों सहित) की भर्ती का अभियान भी शुरू किया है। एजेंसी नाइलिट द्वारा वर्ष 2022-23 में विरुद्ध जिसमें दिसंबर 2023 तक प्रत्याशित रिक्तियां शामिल हैं"।

33. एनआईसी में 1407 पदों के सृजन की वर्तमान स्थिति के बारे में (जिसे बाद में घटाकर 1392 कर दिया गया) पर मंत्रालय ने बताया कि: -

"एनआईसी में 1407 (अब 1392 तक) पदों के सृजन का प्रस्ताव 2014 में शुरू किया गया था। प्रस्ताव को माननीय मंत्री, ई एंड आईटी द्वारा सभी स्तरों पर उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदित किया गया था और सहमति के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए वित्त मंत्रालय से प्रस्ताव वापस प्राप्त हुआ था, जिसकी विधिवत गठित आंतरिक समिति द्वारा जांच की गई है और विस्तृत स्पष्टीकरण फरवरी, 2020 में आगे के विचार के लिए एमईआईटीवाईके माध्यम से वित्त मंत्रालय के समक्ष फिर से प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कुछ और टिप्पणियां की हैं और अतिरिक्त जानकारी मांगी है। वित्त मंत्रालय को इसे पुनः प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक जानकारी संकलित की जा रही है"।

34. ई-ऑफिस, एनआईसी ईमेल और सन्देश मैसेजिंग ऐप के कुल उपयोगकर्ताओं और इन उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया: -

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
ई-ऑफिस उपयोगकर्ता	**270014**	**548170**	**481650**	**875912**	लागू नहीं
एनआईसी ईमेल उपयोगकर्ता	**23 लाख**	**27 लाख**	**31 लाख**	32.8 लाख	36 लाख (अपेक्षित)
संदेस **मैसेजिंग ऐप उपयोगकर्ता**	संदेस मैसेजिंग ऐप के कुल उपयोगकर्ता : **4,618** संदेस के साथ एकीकृत कुल ईगोव ऐप्स : **18**	**कुल उपयोगकर्ता : 4,28,568** **कुल ऐप्स एकीकृत: 44**	**कुल उपयोगकर्ता : 16,66,950** **कुल ऐप्स एकीकृत: 180**	**कुल उपयोगकर्ता : 23,15,227** **कुल ऐप्स एकीकृत: 281**	कुल यूजर्स: 35 लाख कुल एकीकृत ऐप्स: 350

*उपर्युक्त गणनाएं राष्ट्रीय डेटा केंद्र, शास्त्री पार्क (एनडीसी-एसपी) में ईऑफिस क्लाउड में होस्ट किए गए संगठनों के लिए उपलब्ध आंकड़ों और उस विशेष वर्ष में स्थानीय रूप से होस्ट किए गए संगठनों से प्राप्त एक्सएमएल रिपोर्टों के आधार पर प्रदान की गई हैं। कुछ अवसरों पर, कुछ संगठन एक्सएमएल साझा नहीं करते हैं।

ई-ऑफिस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

क) देश भर में प्रशासनिक सुधारऔर लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।इस केअलावा, डीएआरपीजीई-ऑफिस के उपयोग केआधार पर समय समय पर भारत सरकार के मंत्रालय/विभागों को प्रशंसा प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है।

ख) एनआईसी/एनआईसीएसआई द्वारा मंत्रालयों/विभागों के लिए ई-ऑफिस पर नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) आयोजित किए जा रहे हैं।

ग) भारत सरकार के प्रमुख संस्थानों जैसे सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), सरकारी लेखाऔर वित्त संस्थान (आईएनजीएएफ), हरियाणा में ई-ऑफिस पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं।लोक प्रशासन संस्थान (एचआईपीए), आदि।

एनआईसी ईमेल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

क. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए कई कार्यशालाएं और इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए गए हैं।

ख. कुशल और सुरक्षित तरीके से एनआईसी ईमेल सेवा का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए कई नई सुविधाएँ जोड़ी गई हैं।

ग. उपयोगकर्ता को सुविधाओं के बारे में जागरूक करने के लिए ईमेल पोर्टल और कवच ऐप में वीडियो ट्यूटोरियल जोड़े गए थे

35. समिति जानना चाहती है कि क्या एनआईसी उत्पादों जैसे ईमेल, ई-ऑफिस, एसएएनडीईएस और संसद सदस्यों के लिए ई-पोर्टल आदि में अंतिम उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए कोई मौजूदा तंत्र है और क्या इस तरह प्राप्त उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया एनआईसी उत्पादों के क्रमिक संस्करणों में शामिल की गई थी। इस पर मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"संदेस:

प्रतिक्रिया, सुझाव और समस्याओं की रिपोर्टिंग प्राप्त करने के लिए एनआईसी सेवा डेस्क में संदेस के लिए एक तंत्र बनाया गया है। प्राप्त सुझावों का मूल्यांकन किया जाता है और क्रमिक संस्करणों में शामिल किया जाता है।

क) जैसा कि ई-ऑफिस उत्पाद विभिन्न प्रकार के संगठनों में एक विशाल उपयोगकर्ता आधार के साथ शुरू किया गया है, जो सरकार में उच्चतम स्तर से लेकर निम्नतम तक भिन्न होता है, उनसे प्रतिक्रिया और परिवर्तन अनुरोधों ने उत्पाद को अद्वितीय तरीके से समृद्ध किया।

ख) उपयोगकर्ता विभाग ई-ऑफिस सपोर्ट पोर्टल (https://support.eoffice.gov.in) पर अपनी प्रतिक्रिया/परिवर्तन अनुरोध दर्ज कर सकते हैं। रिपोर्ट की गई प्रतिक्रिया/परिवर्तन अनुरोध विश्लेषण और व्यवहार्यता, प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया के बाद डिजाइन, विकास, परीक्षण और रोल-आउट के माध्यम से जाता है।

भारत सरकार द्वारा की गई नई पहलों के लिए ईमेल सोल्यूशन का विवरण:

1. एनआईसी मीट का एकीकरण सरकारी अधिकारियों को इनबिल्ट वन-टू-वन, वन-टू-मैनी कॉलिंग फंक्शन के साथ एक सुरक्षित कनेक्शन नेटवर्क पर एक दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है। एनआईसी मीट को ई-मेल के साथ एकीकृत किया गया है। उपयोगकर्ता इस प्रकार एनआईसी मीट लिंक के साथ एक कैलेंडर आमंत्रण शेड्यूल और साझा कर सकता है।

2. मोबाइल नंबर और दर्शन नाम, पदनाम, जन्म तिथि आदि जैसे उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल विवरण को अपडेट करने के लिए मोबाइल और प्रोफाइल सेल्फ-सर्विंग पोर्टल को अपडेट करने की सुविधा जोड़ी गई।

3. आईडी पुनर्प्राप्ति की शुरूआत सरकारी सर्वर पर आईडी वाले उपयोगकर्ताओं को नई आईडी बनाए बिना सेवा का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान करता है । यह सत्यापन के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर और ओटीपी जमा करके किया जा सकता है। बाद में उपयोगकर्ता पासवर्ड रीसेट करके ईमेल को एक्सेस कर सकता है।

4. चेतावनी ईमेल का समावेश उपयोगकर्ताओं को सावधानी / जागरूकता शीर्षलेख के साथ ईमेल भेजने में सक्षम बनाता है जो प्राप्तकर्ता को ई-मेल को "सावधानी" के साथ व्यवहार करने के लिए सूचित करता है।

5. स्टिकी नोट जोड़ना, यह सुविधा उपयोगकर्ता को त्वरित नोट्स बनाने और इसे किसी विशेष ईमेल में संलग्न करने की अनुमति देती है। एक बार संलग्न होने के बाद, अगली बार उपयोगकर्ता द्वारा ईमेल खोलने पर स्टिकी नोट स्वचालित रूप से पॉप-अप हो जाएगा।

6. डैशबोर्ड विकास यह सुविधा उपयोगकर्ता को विभिन्न तत्वों को एक नज़र में देखने की अनुमति देती है। तत्वों के उदाहरण हैं उपयोग की गई और उपलब्ध स्टोरेज , ईमेल पते / निर्दिष्ट उपनाम, आईपी पते प्रोटोकॉल, दिनांक और समय, और कंट्री ऑफ़ एक्सेस और बहुत कुछ सहित पिछले 15 दिनों का लॉगिन इतिहास।

उपलब्धियां:

माह	वर्ष	नए उपयोगकर्ताओं की संख्या (लगभग)	ईमेल ई-लेनदेन की संख्या (लगभग)
जनवरी	2022	23327	61.36 करोड़
फरवरी	2022	25125	101.85 करोड़
मार्च	2022	21275	82.94 करोड़
अप्रैल	2022	23012	83.74 करोड़
मई	2022	35580	75.24 करोड़
जून	2022	76142	93.37 करोड़

जुलाई	2022	25990	78.2 करोड़
अगस्त	2022	26468	81.28 करोड़
सितम्बर	2022	29184	85.05 करोड़
कुल		286103	

ख. <u>विनियामक प्राधिकरण</u>

(ii) <u>साइबर सुरक्षा (सीईआरटी-इन), एनसीसीसी और डेटा गवर्नेंस</u>

36. पिछले तीन वर्षों, चालू वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजटीय आवंटन और उनका उपयोग निम्नानुसार हैं :-

(करोड़ रुपये में)

	2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
प्रस्तावित	49.75	60.00	500.00	500.00	250.00
बीई	42	140.00	216.00	215.00	225.00
आरई	35.00	90.00	213.30	180.00	-
वास्तविक	29.98	91.73	193.70	139.85*	-
आरईके संबंध में %	86	102	91	78	-

**31.01.2023 तक*

वित्त वर्ष 2022-23 में बीई स्टेज पर फंड का आवंटन 215 करोड़ रुपये था जिसे आरई स्टेज पर संशोधित कर 180 करोड़ रुपये कर दिया गया (यानी बीई का 84%)। एनसीसीसी के डाटा सेंटर के लिए सह-स्थान साइट की अनुपलब्धता के कारण आरई स्तर

पर कमी आई है। 180 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से 120 करोड़ रुपये (30 जनवरी 2022 तक) की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

37. साइबर सुरक्षा (सीईआरटी-इन) और एनसीसीसी का संक्षिप्त परिचय देते हुए मंत्रालय ने बताया कि:

“इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70ख के तहत साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया के क्षेत्र में राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है।

सर्ट-इन साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया के लिए 24x7 घटना प्रतिक्रिया हेल्प डेस्क संचालित करता है। सर्ट-इन घटना की रोकथाम और प्रतिक्रिया सेवाओं के साथ-साथ सुरक्षा गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएं भी प्रदान करता है।

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) नियमित आधार पर कंप्यूटर और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए नवीनतम साइबर खतरों/सुभेद्यताओं और प्रतिउपायों के बारे में चेतावनी और परामर्शी निदेश जारी करता है।

सर्ट-इन अपनी वेबसाइट (http://www. cert-in.org.in) पर सूचना के प्रसार के माध्यम से सुरक्षा मुद्दों पर जागरूकता पैदा करता है।

सुरक्षा गुणवत्ता प्रबंधन सेवाओं के तहत, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) ने लेखापरीक्षण के लिए 'आईटी सुरक्षा लेखापरीक्षण संगठनों' का एक पैनल बनाया है, जिसमें सरकार के विभिन्न संगठनों की कंप्यूटर प्रणाली, महत्वपूर्ण अवसंरचना संगठन और भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के संगठन नेटवर्क और अनुप्रयोगों संबंधी सुभेद्यता मूल्यांकन और पैठ परीक्षण शामिल हैं।

इसके अलावा, सर्ट-इन ने साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनके प्रशासनिक नियंत्रण वाले संगठनों द्वारा कार्यान्वयन के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी)

तैयार की है। सीसीएमपी के साथ, सर्ट-इन ने "सीसीएमपी के लिए गाइडेंस फ्रेमवर्क" विकसित किया है, जिसका उपयोग केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और संस्थाओं सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपने स्वयं के सीसीएमपी को तैयार करने और लागू करने के लिए एक टेम्पलेट के रूप में किया जा सकता है।

सर्ट-इन महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों के लिए नियमित रूप से साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित करता है। साइबर खतरों का मुकाबला करने और साइबर-लचीलेपन के निर्माण के लिए साइबर सुरक्षा तैयारियों का आकलन करने में संस्थाओं की मदद करने के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास एक प्रभावी उपकरण है।

सर्ट-इन ने सर्ट-इन संबंधी घटना प्रतिक्रिया संचालन के साथ-साथ विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए अत्याधुनिक साइबर फोरेंसिक लैब भी स्थापित की है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) की साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79ख के तहत 'इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक' के रूप में अधिसूचित किया गया है।

सीएसआईआरटी-फिन की स्थापना की गई है और यह 15 मई 2020 से कार्य कर रहा है। सर्ट-इन व्यापक तौर पर सर्ट-फिन संचालन हेतु अपेक्षित नेतृत्व प्रदान कर रहा है।

जटिल, परिष्कृत साइबर हमलों से निपटने हेतु, खतरा आसूचना साझा करने और आदान-प्रदान करने के लिए, सर्ट-इन विदेशी समकक्ष एजेंसियों के साथ-साथ उद्योग से साइबर सुरक्षा संगठन जो साइबर हमलों को रोकने के साथ-साथ साइबर सुरक्षा घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए सहयोग करने हेतु एक साथ कार्य करने और समयबद्ध तरीके से जानकारी साझा करने के इच्छुक हैं।

समुदाय द्वारा साइबर सुरक्षा के मुद्दों का पता लगाने को प्रोत्साहित करने और जिम्मेदार संस्थाओं के माध्यम से उनके बाद के उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए सर्ट-इन राष्ट्रीय स्तर पर सुभेद्यताओं के लिए जिम्मेदार सुभेद्यता प्रकटीकरण और समन्वय करता है।

"मेक इन इंडिया" में विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने के लिए, सर्ट-इन ने भारत में डिज़ाइन, विकसित और निर्मित सभी उत्पादों को प्रभावित करने वाली सुभेद्यताओं के लिए सीवीई नंबरिंग अथॉरिटी (सीएनए) भी स्थापित की है।

साइबर स्वच्छता केंद्र सर्ट-इन द्वारा प्रदान की जाने वाली एक नागरिक केंद्रित सेवा है, जो स्वच्छ भारत की दृष्टि को साइबर स्पेस तक विस्तारित करती है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के भाग के रूप में 21 फरवरी, 2017 को साइबर स्वच्छता केंद्र शुरू किया गया था। साइबर स्वच्छता केंद्र का उद्देश्य पीड़ित संगठनों/उपयोगकर्ताओं को बॉटनेट/मैलवेयर खतरों के बारे में समय पर जानकारी प्रदान करने और संबंधित संस्था द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने के लिए एक समर्पित तंत्र बनाकर भारत के डिजिटल आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करना है। केंद्र बॉटनेट/मैलवेयर संक्रमण को दूर करने और संगठनों और उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए निःशुल्क उपकरण प्रदान करता है।

सर्ट-इन ने मौजूदा और संभावित साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में आवश्यक स्थितिजन्य जागरूकता उत्पन्न करने और व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा सक्रिय, निवारक और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए समय पर सूचना साझा करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) की स्थापना की है। एनसीसीसी का चरण I जुलाई 2017 में चालू हो गया है। एनसीसीसी परियोजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से सर्ट-इन की नियमित गतिविधियों के साथ मिला दिया गया था। एनसीसीसी स्थापना घटक की बजट आवश्यकता को भी वित्तीय वर्ष 2021-22 से सर्ट-इन के नियमित बजट के साथ विलय कर दिया गया है।"

38. 2022-23 के दौरान बजट अनुमान और संशोधित अनुमान स्तर पर वास्तविक लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों के बारे में मंत्रालय ने समिति को निम्नानुसार सूचित किया: -

> "विभिन्न कार्यों को करने के लिए, सर्ट-इन नवीनतम साइबर सुरक्षा खतरों और शमन उपायों से निपटने के लिए प्रणालियों और समाधानों को बनाए रख रहा है और उन्हें बढ़ा रहा है। वार्षिक रखरखाव के साथ-साथ वृद्धि/उन्नयन के माध्यम से साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग, घटना प्रतिक्रिया के लिए

उपकरण और साइबर सुरक्षा ऑडिटिंग, विश्लेषणात्मक समाधान और साइबर सुरक्षा अभ्यास के लिए उपकरण, सीवीई नंबरिंग प्राधिकरण के लिए सुभेद्यता अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना, सर्ट-इन आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (वेब, ईमेल और सुरक्षा आदि) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भौतिक लक्ष्य मुख्य रूप से मौजूदा और चल रही गतिविधियों की व्यवस्था हेतु थे। इसके अलावा, सर्ट-इन वित्तीय वर्ष 2022-23 में साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण गतिविधियों उर्फ साइबर अभ्यास सुविधा (सीएएस) के लिए एक नया मंच स्थापित करने का भी लक्ष्य बना रहा है। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई कमी नहीं है।"

39. वर्ष 2023-24 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि:-

"वित्त वर्ष में लक्ष्य (बीई और आरई) 2023-24 सर्ट-इन गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ-साथ स्थापना (वेतन, चिकित्सा, यात्रा, कार्यालय व्यय और प्रशिक्षण आदि) के लिए पूंजीगत आईटी अवसंरचना मदों (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग) की खरीद के लिए हैं।"

40. राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हुए कि इसके पूरी तरह से चालू होने की कब तक आशा थी और यह सीईआरटी-इन से कैसे अलग था, मंत्रालय ने बताया कि: -

"सर्ट -इन द्वारा राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) परियोजना की स्थापना साइबर खतरे की स्थितिजन्य जागरूकता के महत्व और आवश्यकता को पहचान कर भारतीय साइबर स्पेस की साइबर सुरक्षा को बढ़ाने कीव्यवस्था का एक हिस्सा है। एनसीसीसी को सुरक्षित और संरक्षित साइबर स्पेस उपलब्धकराने के लिए डिजिटल इंडिया के तहत प्रमुख परियोजनाओं में से एक के रूप में प्रस्तावित किया गया था।

राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) परियोजना का उद्देश्य मौजूदा और संभावित साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में आवश्यक स्थितिजन्य जागरूकता उत्पन्न करना और व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा सक्रिय, निवारक और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए समय पर सूचना

साझा करना सक्षम करना है। एनसीसीसी परियोजना साइबर सुरक्षा के वास्तविक समय मैक्रोस्कोपिक विचारों को उत्पन्न करने के लिए मेटा-डेटा स्तर पर देश में साइबर स्पेस को स्कैन करती है। यह परियोजना लगभग वास्तविक समय के आधार पर साइबर हमलों और साइबर घटनाओं को कम करने के लिए देश में विभिन्न संगठनों और संस्थाओं को सुविधा प्रदान कर रही है।

मेटाडेटा इनपुट इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी), राज्य डेटा केंद्रों (एसडीसी) और सभी क्षेत्रों के संगठनों से एकत्र किए जाते हैं। एनसीसीसी का चरण-I जुलाई 2017 में चालू हो गया था और चरण-II कार्यान्वयन प्रगति पर है। आज तक लगभग 50+ आईएसपी और संगठन ट्रैफिक डेटा और लॉग के संग्रह के लिए एनसीसीसी के साथ एकीकृत हैं। इसके अलावा, विभिन्न संगठनों में पूरे भारत में 1200 हनीपोट तैनात किए गए हैं।

वर्ष 2023-2024 के दौरान पूर्ण पैमाने पर एनसीसीसी परियोजना (275 साइटों को शामिल करते हुए) को चालू करने के लिए कार्य प्रगति पर है।

सर्ट -इन को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70ख के तहत साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया के क्षेत्र में राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है। सर्ट -इन साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया के लिए 24x7 घटना प्रतिक्रिया हेल्प डेस्क संचालित करता है। सर्ट -इन घटना की रोकथाम और प्रतिक्रिया सेवाओं के साथ-साथ सुरक्षा गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएं भी प्रदान करता है।

एनसीसीसी परियोजना के कार्यान्वयन और संचालन के अलावा, सर्ट -इन निम्नलिखित गतिविधियां भी करता है:

i. सर्ट -इन नियमित आधार पर कंप्यूटर और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए नवीनतम साइबर खतरों/भेद्यताओं और प्रतिउपायों के बारे में अलर्ट और सलाह जारी करता है।

ii. सर्ट -इन सभी क्षेत्रों के संगठनों के साथ उनके द्वारा सक्रिय रूप से खतरे को कम करने की कार्रवाइयों के लिए छोटे अलर्ट को सक्रिय रूप से एकत्र करने, विश्लेषण करने और साझा करने के लिए एक स्वचालित साइबर खतरा विनिमय मंच संचालित करता है।

iii. सर्ट -इन अपनी वेबसाइट (http://www. cert-in.org.in) पर सूचना के प्रसार के माध्यम से सुरक्षा मुद्दों पर जागरूकता पैदा करता है।

iv. सुरक्षा गुणवत्ता प्रबंधन सेवाओं के तहत, सर्ट -इन ने ऑडिटिंग के लिए 'आईटी सुरक्षा ऑडिटिंग संगठनों' का एक पैनल बनाया है, जिसमें सरकार के विभिन्न संगठनों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संगठनों और अन्य में कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और अनुप्रयोगों के भेद्यता मूल्यांकन और भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

v. सर्ट-इन ने साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) तैयार की है, जिसे केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनके प्रशासनिक नियंत्रण वाले संगठनों द्वारा लागू किया जाएगा। सीसीएमपीके साथ, सर्ट -इन ने "सीसीएमपीके लिए गाइडेंस फ्रेमवर्क" विकसित किया है, जिसका उपयोग केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और संस्थाओं सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपने स्वयं के सीसीएमपीको तैयार करने और लागू करने के लिए एक टेम्पलेट के रूप में किया जा सकता है।

vi. सर्ट-इन महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों के लिए नियमित रूप से साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित करता है। साइबर खतरों का मुकाबला करने और साइबर-लचीलेपन के निर्माण के लिए साइबर सुरक्षा तैयारियों का आकलन करने में संस्थाओं की मदद करने के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास एक प्रभावी उपकरण है।

vii. सर्ट -इन ने सर्ट -इन के घटना प्रतिक्रिया संचालन के साथ-साथ विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए अत्याधुनिक साइबर फोरेंसिक लैब भी स्थापित की है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सर्ट -इन) की साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79कके तहत 'इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक' के रूप में अधिसूचित किया गया है।

viii. सीसर्ट - फिन की स्थापना की गई है और यह 15 मई 2020 से काम कर रहा है। सर्ट -इन अपने कार्य क्षेत्र के तहत सर्ट-फिन संचालन के लिए अपेक्षित नेतृत्व प्रदान कर रहा है।

ix. सर्ट-इन साइबर हमलों को रोकने के साथ-साथ साइबर सुरक्षा घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए सहयोग करने के लिए समयबद्ध तरीके से सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए विदेशी समकक्ष एजेंसियों के साथ-साथ उद्योग से साइबर सुरक्षा संगठनों के साथ साझेदारी करता है।

x. समुदाय द्वारा साइबर सुरक्षा के मुद्दों की खोज को प्रोत्साहित करने और जिम्मेदार संस्थाओं के माध्यम से उनके बाद के उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए सर्ट-इन राष्ट्रीय स्तर पर कमियों के लिए जिम्मेदार भेद्यता प्रकटीकरण और समन्वय करता है। "मेक इन इंडिया" में विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने के लिए, सर्ट -इन ने भारत में डिज़ाइन, विकसित और निर्मित सभी उत्पादों को प्रभावित करने वाली कमजोरियों के लिए सीवीई नंबरिंग अथॉरिटी (सीएनए) भी स्थापित की है।

साइबर स्वच्छता केंद्र सर्ट-इन द्वारा प्रदान की जाने वाली एक नागरिक केंद्रित सेवा है, जो स्वच्छ भारत की दृष्टि को साइबर स्पेस तक विस्तारित करती है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में 21 फरवरी, 2017 को साइबर स्वच्छता केंद्र शुरू किया गया था। साइबर स्वच्छता केंद्र का उद्देश्य बोटनेट/मैलवेयर के बारे में समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए एक समर्पित तंत्र बनाकर भारत की डिजिटल आईटी अवसंरचना को सुरक्षित करना है।केंद्र बॉटनेट/मैलवेयर संक्रमण को दूर करने और संगठनों और उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए निःशुल्क उपकरण प्रदान करता है।"

41. यह पूछे जाने पर कि क्या साइबर अपराध के मामलों से निपटने के लिए भारत में कोई विशेष नोडल एजेंसी है, मंत्रालय ने उत्तर दिया है कि: -

"गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4सी) देश भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साइबर अपराध के मुद्दों का समन्वय करता है।"

42. जिन प्रमुख बाधाओं का सामना करना पड़ा था, उन्हें दूर करने के लिए किए गए उपायों और प्राप्त उपलब्धियों को सामने रखते हुए, मंत्रालय ने समिति को निम्नानुसार सूचित किया: -

"सामने आ रही प्रमुख बाधाओं और उन्हें दूर करने के उपायों के साथ-साथ हासिल की गई उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:

बाधाएं:

सर्ट-इन को घटनाओं और साइबर सुरक्षा मुद्दों में तेजी से वृद्धि, ऑनसाइट प्रतिक्रिया सहित घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों की तत्काल प्रकृति, प्रमुख वर्तमान के साथ-साथ नियोजित नई गतिविधियों / परियोजनाओं को बनाए रखने और उभरती प्रौद्योगिकियों और क्षेत्रों से संबंधित साइबर सुरक्षा मुद्दे संबोधित करने के लिए अतिरिक्त जनशक्ति की तत्काल आवश्यकता है।

इस चुनौती से निपटने के लिए सर्ट-इन ने पहले ही विभिन्न स्तरों पर पदों के अतिरिक्त सृजन का प्रस्ताव पेश कर दिया है।

उपलब्धियां:

क) वर्ष 2022 में, सर्ट-इन ने 13,91,457 घटनाओं को हैंडल किया है। घटनाओं से निपटने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया गया और संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय में लागू किया गया।

ख) वर्ष 2022 के दौरान कुल 653 सुरक्षा चेतावनी, 38 परामर्शी निदेश और 488 सुभेद्यता नोट जारी किए गए है।

ग) सर्ट-इन ने सरकार, सार्वजनिक और महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों और संचार और सूचना अवसंरचना प्रदाताओं के लिए 123 साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए ताकि उन्हें नवीनतम सुरक्षा खतरों, जरूरतों और विकास और तकनीकों के नियोजन के साथ सुरक्षा जोखिम को कम करने के लिए उपकरण सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में शिक्षित किया जा सके। वर्ष 2022 के दौरान कुल 6,317 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।

घ) सर्ट-इन ने 09 घरेलू साइबर अभ्यास और ड्रिल आयोजित किए और 2022 में 07 अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यासों में योगदान दिया और भाग लिया।

ङ) सर्ट-इन को भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद (डीएससीआई) अवार्ड्स 2020 में "देश की साइबर फ्रंटलाइन्स" पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

च) सर्ट-इन को "सीएसआईआरटी के लिए टास्क फोर्स - विश्वसनीय परिचयकर्ता" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे वैश्विक सर्ट समुदाय में विश्वास बनाने के लिए परिपक्वता और कार्यक्षमता के निश्चित स्तर का प्रदर्शन होता है।

छ) सर्ट-इन को 2021 में एमआईटीआर, यूएसएके सीवीई प्रोग्राम द्वारा सीवीई नंबरिंग अथॉरिटी (सीएनए) के रूप में अधिकृत किया गया है। यह देश में जिम्मेदार सुभेद्यता अनुसंधान के पोषण के साथ-साथ "मेक इन इंडिया" में विश्वास को सुदृढ़ करने में मदद करेगा।

ज) साइबर स्वच्छता केंद्र (सीएसके- बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर) मैलवेयर संक्रमणों का पता लगाता है और नागरिकों और संगठनों को मुफ्त टूल के साथ अपने सिस्टम की सफाई के लिए नागरिकों को सक्षम बनाता है। यह केंद्र लगभग 94% भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ सभी क्षेत्रों के 669 संगठनों को कवर करता है।

झ) सर्ट-इन ने सरकार और महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों के नेटवर्क वाले बुनियादी ढांचे के सुभेद्यता मूल्यांकन और पैठ परीक्षण सहित सूचना सुरक्षा ऑडिट करने के लिए कड़े योग्यता मानदंडों के आधार पर 150 सूचना सुरक्षा ऑडिटिंग संगठनों को सूचीबद्ध किया है।

ञ) वर्ष 2022 के दौरान, सर्ट-इन ने अपने स्वचालित थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सक्रिय खतरे की रोकथाम को सक्षम करने के लिए सेक्टरों और हितधारकों के विभिन्न संगठनों के साथ 653 अनुरूप अलर्ट साझा किए।

ट) सर्ट-इन ने अपने नेतृत्व में, नियामकों के साथ समन्वित उपायों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीएसआईआरटी-फिन का संचालन किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79क के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला को 'इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक' के रूप में अधिसूचित किया गया है और केंद्रीय

और राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साइबर सुरक्षा घटनाओं और साइबर अपराधों की जांच का समर्थन करता है।"

ग. <u>डिजिटल इंडिया कार्यक्रम</u>

43. मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत विगत तीन वर्षों, चालू वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजटीय आबंटन निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रु. में)

	2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
प्रस्तावित	7931.14	6940.00	9627.00	6653.21	7957.92
बीई	3750.76	3958.00	6806.33	5376.18	4795.24
आरई	3212.52	3044.82	6388.00	5400.50	-
वास्तविक	3191.09	3030.54	4504.36	2100.96*	-
आरई के संदर्भ में %	99	100	71	39	-

**31.01.2023* की स्थिति *तक*

I. <u>वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 तक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सहित केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं/परियोजनाओं के लिए आवंटन</u>

क्र.सं.	योजना/गैर-योजनाएँ	2020-21			2021-22			2022-23			2023-24	
		बीई	आरई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक (31.01.2023)	प्रस्तावित	बीई
4	**डिजिटल इंडिया कार्यक्रम**	**3958.00**	**3044.82**	**3030.54**	**6806.33**	**6388.00**	**4504.36**	**5376.18**	**5400.50**	**2100.96**	**7957.92**	**4795.24**
4.1	ईएपी सहित इलेक्ट्रॉनिक शासन	425.00	415.82	404.99	425.00	535.00	312.39	525.00	525.00	500.64	559.72	555.74
4.2	जनशक्ति विकास	430.00	190.00	190.00	400.00	400.00	272.26	350.00	250.00	78.64	-	-
4.3	राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	400.00	584.00	584.00	500.00	500.00	500.00	650.00	485.25	485.12	495.52	352.00
4.4	इलेक्ट्रॉनिकी और	980.00	700.00	478.62	2631.32	2014.00	1193.02	2403.00	1199.00	201.69	3500.00	700.00

	आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा (एम सिप्स, ईडीएफ़और विनिर्माण क्लस्टर)											
4.5	आईटी और आईटीईएस उद्योगों का प्रचार	170.00	100.00	98.55	150.00	100.00	69.80	100.00	89.25	49.33	285.08	150.00
4.6	साइबर सुरक्षा परियोजनाएं	170.00	80.00	79.99	200.00	339.00	310.51	300.00	100.00	25.51	432.39	400.00
4.7	आईटी/इलेक्ट्रॉनिकी /सीसीबीटी में अनुसंधान एवं विकास	762.99	425.00	420.91	700.00	700.00	502.04	598.17	365.00	349.18	967.22	600.00
4.8	पीएमजीदिशा	400.00	250.00	250.00	300.00	300.00	300.00	50.00	250.00	245.00	-	-
4.9	डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना	220.00	300.00	523.48	1500.00	500.00	1044.34	200.00	2137.00	165.85	890.65	1500.00
4.10	चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	-	-
4.11	क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना										827.34	537.50
5	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं							5300.00	2403.00	885.11	8355.00	7645.04
5.1	भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम								200.00	0.00	3000.00	3000.00
5.2	उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)							5300.00	2203.00	885.11	5355.00	4645.04

44. यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय मार्च 2023 के अंत तक 2022-23 के दौरान आवंटित निधि के पूर्ण उपयोग को प्राप्त करने के लिए आशान्वित था, मंत्रालय ने उत्तर दिया है कि:

> "विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत संवितरण प्रस्तावों की प्राप्ति के मद्देनज़र एमईआईटीवाई मार्च 2023 के अंत तक आरई 2022-23 में आबंटित धन के पूर्ण उपयोग को प्राप्त करने के लिए काफी आशान्वित है, जिनकी वर्तमान में आवश्यक संवितरण के लिए जांच की जा रही है। "

45. आवंटन की जांच करते हुए, समिति ने नोट किया कि 2023-24 के दौरान, दो योजनाओं जैसे भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के लिए एक महत्वपूर्ण आवंटन किया गया था। यह पूछे जाने पर कि वर्ष 2023-24 के दौरान इन योजनाओं के लिए आवंटन का उपयोग कैसे किए जाने की संभावना है, समिति को अवगत कराया गया कि :

"**पीएलआई योजना:** सभी आवेदक पीएलआई योजनाओं के तहत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और 2023-24 के अनुमानों के अनुसार प्रोत्साहन प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम: भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम के तहत 76,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, योजना के अनुसार फंड का आबंटन निम्नानुसार है:

योजना	बजट आबंटन (करोड़ में) बीई 2023-24
भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए योजना/संशोधित योजना	1,000
भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए योजना/संशोधित योजना	0.04

भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/ओएसएटीसुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना	1,799.92
डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना	200
डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना,मोहाली	0.04

46. पिछले वित्त वर्ष की तुलना में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की योजना के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने बताया कि:

> "वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के संबंध में अंतिम आबंटन की राशि 2137 करोड़ रुपये है। इसकी तुलना में इस योजना के लिए बजट अनुमान 2023-24 में आबंटन की राशि 1500 करोड़ रुपये है। एक और वर्ष यानि 2023-24 के लिए रूपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए अधिग्रहीत बैंकों को प्रोत्साहन योजना (आईएसबी योजना) जारी रखने के सरकार के फैसले को ध्यान में रखते हुए आबंटन बीई 2022-23 के प्रावधान से अधिक है"।

47. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण और राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) को बढ़ावा देने जैसी योजनाओं में 2023-24 के दौरान कम आवंटन के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया: -

> "वर्ष 2023-24 के दौरान कम आबंटन के मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण हैं:
>
> **इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा:**
>
> i) वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के दौरान व्यय न होने के कारण वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में कटौती;
>
> ii) निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया पर स्पष्टता का अभाव। प्रारंभ में, योजना को मॉडल 1 में रखा गया था और अब 8-9 महीने के अंतराल के बाद, योजना को मॉडल 2 में स्थानांतरित किया जा रहा है; और

iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे सामाजिक क्षेत्र के कल्याण के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क:

एनकेएन का अगला चरण यानि डिजिटल इंडिया इन्फोवे (डीआईआई) मंजूरी की प्रक्रिया में है। एक बार डीआईआईको मंजूरी मिल जाने के बाद, एनकेएनको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तदनुसार, यदि आवश्यक हो, अनुदान की पूरक मांग में अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

48. समिति पाती है कि 2022-23 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने, जनशक्ति विकास और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने जैसी योजनाओं में कम उपयोग हुआ। इसके कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहे जाने पर मंत्रालय ने सूचित किया कि:-

"वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तीन तिमाहियों में इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण और जनशक्ति विकास योजना के प्रचार के संबंध में धन के संवितरण पर प्रथम दृष्टया निम्नलिखित कारणों की वजह से प्रभाव पड़ा है:

i) व्यय विभाग द्वारा शुरू की गई निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया (मॉडल-1 और मॉडल-2) पर स्पष्टता की कमी और योजना ढांचे के संबंध में ऐसी प्रक्रिया की जटिलताओं के कारण;

ii) योजना के घटकों में से एक घटक को बंद करना यानि ईएमसी संवितरण अवधि और उसके बाद पुन: प्रारम्भ करना;

iii) जहां तक प्रोत्साहन आधारित योजनाओं का संबंध है, दावों की प्राप्ति में देरी से और कंपनियों द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारण संवितरण में देरी हुई।

संशोधित अनुमान चरण में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के अंतर्गत आवश्यक धनराशि आबंटित की गई थी और उसका पूरा उपयोग किया जा रहा है"।

(i) इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस (ईएपी सहित)

49. इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत पिछले तीन वर्षों के दौरान, चालू वर्ष के लिए और अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजटीय आबंटन और उपयोग निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपये में)

	2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
प्रस्तावित	1072.17	850.00	750.00	575.00	559.72
बीई	450.00	425.00	425.00	525.00	555.74
आरई	402.87	415.82	535.00	525.00	-
वास्तविक	402.06	404.99	312.39	500.64*	-
आरई के संदर्भ में %	100	97	58	95	-

*31.01.2023 की स्थिति तक

क. स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान)

50. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वान के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति और वर्ष 2022-23 के दौरान हुई प्रगति को प्रस्तुत करते हुए, मंत्रालय ने बताया कि:

> "वर्तमान में, स्वान को संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को छोड़कर सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालन में लाया जा चुका है। स्वान के कार्यान्वयन के लिए संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख ने नेटवर्क ऑपरेटर का चयन किया है। लद्दाख स्वान के जून 2023 तक लागू होने की उम्मीद है।
>
> 31 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में, स्वान ने सफलतापूर्वक संचालन के पांच साल पूरे कर लिए हैं और उसके बाद राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के बजटीय संसाधनों से स्वान नेटवर्क का उन्नयन और रखरखाव करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के 3 राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर मेंस्वान परिचालन में है। संघ राज्य क्षेत्र में स्वान का कार्यान्वयन किया जा रहा है"।

51. विशिष्ट रूप से यह पूछे जाने पर कि मंत्रालय ने शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वान के कार्यान्वयन में तेजी लाने का प्रस्ताव क्या है, मंत्रालय ने एक लिखित अभिवेदन में बताया:

"जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, स्वान को संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को छोड़कर सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में चालू कर दिया गया है। यूटी लद्दाख में स्वान के कार्यान्वयन के लिए एमईआईटीवाईनियमित रूप से कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी कर रहा है । साथ ही, इसकी निगरानी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार के आईटी सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यान्वयन समिति द्वारा भी की जाती है"।

ख. सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)

52. सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी-**2.0:** आगे का मार्ग)परियोजना: एमईआईटीवाई ने सहायता प्राप्त मोड में प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) का नेटवर्क को लागू किया है। सीएससी योजना में नागरिकों को विभिन्न सरकारी-से-नागरिक (जी 2 सी) और अन्य नागरिक केंद्रित ई-सेवाओं के वितरण के लिए देश भर में 2.50 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) में से प्रत्येक में कम से कम एक सीएससी की स्थापना की परिकल्पना की गई है। यह एक स्व-सतत उद्यमिता मॉडल है जिसे ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) द्वारा चलाया जाता है। अक्टूबर 2022 तक, देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में कुल 5,21,225 सीएससी चालू हैं, जिनमें से कुल 4,14,766 सीएससी ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर कार्यरत हैं। देश भर में नागरिकों को सीएससी (सीएससी-एसपीवी पोर्टल) के माध्यम से देश भर में 400+ से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

53. 'सामान्य सेवा केन्द्र - स्पेशल पर्पस व्हिकल (सीएससी-एसपीवी) के कार्यकरण की समीक्षा' विषय के जांच के दौरान मंत्रालय ने निम्नवत बताया था -

"सीएसएस ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को कंपनी अधिनियम**,** 1956 के तहत कंपनी के रुप में निगमित किया गया है। यह सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी नहीं है.....**"**

54. सीएससी के रोलआउट को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों और ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सीएससी की स्थापना में प्रमुख मुद्दों को कैसे हल किया जा सकता है, इस पर ध्यान देते हुए, समिति को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अवगत कराया गया :-

"सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड ने अवगत कराया कि सीएससी ग्राम स्तर के उद्यमियों द्वारा स्व-स्थायी आधार पर चलाए जाते हैं और किसी विशेष इलाके में सीएससी की स्थापना कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि विश्वसनीय बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता, संचालन की व्यवहार्यता, इसके द्वारा दी जा रही सेवाओं की मांग और केंद्रों पर लोगों की संख्या"।

ग. राज्य डेटा केंद्र (एसडीसी)

55. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वान के प्रचालन की अद्यतन स्थिति के संबंध में मंत्रालय ने निम्नानुसार सूचित किया:-

"राज्य डाटा केंद्र (एसडीसी): राज्य डाटा केंद्र (एसडीसी) डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर घटकों में से एक है। एसडीसी योजना के तहत, सरकार से सरकार (जी2जी), सरकार से नागरिक (जी2सी) और सरकार से व्यवसाय (जी2बी) सेवाओं की कुशल इलेक्ट्रॉनिक प्रदायगी करने के लिए सेवाओं, अनुप्रयोगों और अवसंरचना को समेकित करने के लिए सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में डेटा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एसडीसी के माध्यम से प्रदान की जा सकने वाली कुछ प्रमुख कार्यात्मकताएं राज्य के लिए केंद्रीय भंडार, सुरक्षित डेटा भंडारण, सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी, नागरिक सूचना/सेवा पोर्टल, राज्य इंट्रानेट पोर्टल, आपदा वसूली, दूरस्थ प्रबंधन और सेवा एकीकरण आदि हैं। आज तक, 30 राज्य डाटा केंद्र (एसडीसी) को चालू कर दिया गया है"।

56. शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसडीसी को प्रचालित करने के लिए 2022-23 में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया: -

"एसडीसी परियोजना को पूरा करने के लिए शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श किया गया। सभी परिचालन एसडीसी को संबंधित राज्य सरकार/एजेंसियों द्वारा अधिग्रहित और प्रबंधित किया जाता है"।

57. योजना के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख बाधाओं और उनके समाधान के लिए किए गए उपायों के बारे में समिति को निम्नानुसार अवगत कराया गया था: -

"इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिन प्राथमिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उनमें डिजिटल साक्षरता, डिजिटल कनेक्टिविटी, सेवाओं तक पहुंच, डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी और सेवाओं को अपनाने के लिए विभागों के बीच जागरूकता/तत्परता शामिल हैं। इन चुनौतियों के अलावा, डिजिटल डिवाइड गैप को इस तथ्य के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है कि कमजोर वर्गों के कई नागरिक डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने से वंचित हैं।

सरकार ने पहले ही ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता लाने के लिए "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)" को लागू करके और भारतनेट परियोजना के माध्यम से देश में 100 एमबीपीएस कनेक्टिविटी के साथ सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों (जीपी) को जोड़ने के उद्देश्य से इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं। सरकार डिजिटल रूप से निरक्षर करने के लिए सीएससी के माध्यम से सहायता प्राप्त मोड में भी सेवाएं प्रदान कर रही है और विभिन्न अन्य चैनलों के माध्यम से भी कदम उठा रही है। इसके अलावा, सरकार डिजिटल सेवाओं की ऑनबोर्डिंग और खपत के लिए नागरिकों के साथ-साथ विभागों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है"।

(ii) <u>इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर) का संवर्धन</u>

58. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के संबंध में पिछले तीन वर्षों चालू वर्ष के दौरान बजट आबंटन और अगले वित्तीय वर्ष के लिए आवंटन निम्नानुसार हैं:-

(**करोड़ रु. में**)

	2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
प्रस्तावित	1600.00	1545.00	4200.00	2405.00	3500.00
बीई	986.00	980.00	2631.32	2403.00	700.00
आरई	690.00	700.00	2014.00	1199.00	-
वास्तविक	655.08	478.62	1193.02	201.69*	-
सन्दर्भ में **%**	95	68	59	17	-

* *31.01.2023* की तिथि पर

59. योजना के उद्देश्यों, लक्ष्यों, शुरू करने की तारीख और पूरा करने की समय सीमा के संबंध में विवरण मांगे जाने पर, मंत्रालय ने बताया कि:

"संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस): संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस) को भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 27 जुलाई, 2012 को अधिसूचित किया गया था। योजना की अवधि बढ़ाने, 15 और उत्पाद कार्यक्षेत्रों को शामिल करके योजना के दायरे को बढ़ाने और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए योजना को अगस्त, 2015 में संशोधित किया गया है। निवेश में तेजी लाने के लिए जनवरी, 2017 में इस योजना में और संशोधन किया गया। यह योजना पूंजीगत व्यय के लिए सब्सिडी प्रदान करती है - विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में निवेश के लिए 20% और गैर-एसईजेड में 25%। संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण मूल्य श्रृंखला को कवर करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और घटकों की 44 श्रेणियों / कार्यक्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। 31 दिसंबर, 2018 को नए आवेदन प्राप्त करने के लिए योजना को बंद कर दिया गया था।

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (ईएमसी): सहायक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ तैयार भूमि की उपलब्धता की आवश्यकता में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं द्वारा सामना की जाने वाली अक्षमता को दूर करने के लिए; इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (एमईआईटीयाई) ने 22 अक्टूबर, 2012 को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) योजना को अधिसूचित किया। यह योजना 5 साल की अवधि के लिए यानी अक्टूबर, 2017 तक और अक्टूबर, 2024 तक की आगे की अवधि के लिए स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन के वितरण के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली है । योजना के तहत, 3,464 एकड़ के क्षेत्र के माप वाली 19 ग्रीनफील्ड ईएमसी और 3 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) ,470 करोड़रुपये की सरकारी अनुदान सहायता सहित 3,498 करोड़ रुपये की परियोजना लागत होगी । इन ईएमसी को 52,119 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने का अनुमान है और लगभग 6.30 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे।

ईएमसी 2.0: आवेदन की प्राप्ति बंद होने और देश में मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता के आधार पर, एमईआईटीयाई ने 1 अप्रैल, 2020 को संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना की शुरुआत की ताकि प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को उनकी आपूर्ति श्रृंखला के साथ ऐसे समूहों के माध्यम से देश में अपनी उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए आकर्षित करने हेतु बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान की जा सके। । आवेदन प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक 3 वर्षों के साथ 8 वर्ष (अर्थात मार्च, 2028) की अवधि के लिए योजना का कुल बजटीय परिव्यय रु. 3,762 करोड़ है। इस योजना का लक्ष्य इस क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना है और इसमें 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है ।

इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड (ईडीएफ): इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो-इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में नई तकनीकों को विकसित करने वाली कंपनियों को जोखिम पूंजी प्रदान करने के लिए ईडीएफ की स्थापना की गई है। ईडीएफ नीति को 10.12.2014 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था और 09.01.2015 को अधिसूचित किया गया था। ईडीएफ के जरिए निवेश के लिए 22 डॉटर फंड मंजूर किए गए। इन 22 उप निधियों के लिए स्वीकृत प्रतिबद्धता 1224 करोड़ रुपये थी। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) में कॉरपस का कम से कम 50% निवेश करने पर प्रतिबंध, बाजार से पर्याप्त पूंजी जुटाने में असमर्थता जैसे विभिन्न कारणों से, 14 डॉटर फंड्स ईडीएफ़ से फंडिंग प्राप्त नहीं कर सके। ईडीएफ़ की वर्तमान प्रतिबद्धता 8 डॉटर फंड के लिए 246.30 करोड़ रुपये है।

31.12.2022 तक, ईडीएफ ने आठ डॉटर फंड में 242.40 करोड़ रुपये का निवेश किया है जिससे बाद में 128 वेंचर्स / स्टार्टअप्स में 1,242.51 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। समर्थित स्टार्टअप्स में कुल रोजगार 18,000 से अधिक था। समर्थित स्टार्ट-अप्स द्वारा सृजित/अधिग्रहीत आईपी की संख्या 383 है। 128 स्टार्टअप्स में से 8 डॉटर फंड्स 26 निवेशों से बाहर निकल गए हैं और 8 निवेशों को बट्टे खाते में डाल दिया है। इन एग्जिट की कार्यवाही से ईडीएफ में प्राप्त संचयी रिटर्न 95.70 करोड़ रुपये है।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढावा देने की योजना (एसपीईसीएस): देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए घटकों और अर्धचालकों के घरेलू विनिर्माण के लिए अक्षमता को ऑफसेट करने के लिए 01.04.2020 को एसपीईसीएस योजना को अधिसूचित किया गया था। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक सामानों की पहचान की गई सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन शामिल है, यानी इलेक्ट्रॉनिक घटक, सेमीकंडक्टर/डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाइयां, एटीएमपी इकाइयां, विशेष सब -एस्सेम्बलिज और पूंजीगत सामान निर्माण के लिए उपरोक्त सामानों की, जिनमें से सभी में उच्च मूल्य वर्धित विनिर्माण शामिल है। यह योजना 31.03.2023 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली है। कैबिनेट द्वारा कुल स्वीकृत व्यय परिव्यय रु. 3,285 करोड़ (32 करोड़ तक के प्रशासनिक व्यय सहित) है।

11,131 करोड़ रुपये के कुल प्रस्तावित निवेश और 1,518 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध प्रोत्साहन के साथ 31.01.2023 तक बतीस (32) आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत आवेदनों की कुल रोजगार सृजन क्षमता 32,457 है"।

60. वर्ष 2023-24 के दौरान योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और इसे प्राप्त करने के लिए किए जा रहे उपायों के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए मंत्रालय ने समिति को निम्नानुसार सूचित किया: -

"एम-एसआईपीएस और एसपीईसीएस: एम-एसआईपीएस और एसपीईसीएस योजनाओं के लिए वर्ष 2023-24 के लिए 414.00 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

i) आवेदक के संवितरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए उनके साथ कार्यशाला/बैठक का आयोजन किया

ii) क्यूपीआर के माध्यम से आवेदक से अगली दो तिमाहियों के लिए संवितरण अनुमान मांगे जा रहे हैं।

ईएमसी और ईएमसी 2.0: प्रारंभ में, इन योजनाओं के लिए 2022-23 के लिए 350 करोड़ रुपये रुपये का बजट निर्धारित किए गए थे। हालांकि, ईएमसी योजना के तहत वितरण अवधि यानी अक्टूबर 2022 तक और अक्टूबर 2024 तक उसके बाद के पुनरुद्धार के कारण और आवश्यक नियमों और शर्तों के अनुपालन में बाधाओं के साथ-साथ विभाग द्वारा शुरू की गई संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के कार्यान्वयन में समस्या के कारण व्यय ऐसी योजनाओं के निष्पादन हेतु बजट परिव्यय आरई 2022-23 के दौरान 130 करोड़ रुपये के रूप में संशोधित किया गया था जिनमें से रू. 29.75 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं और शेष राशि 31.03.2023 के अंत से पहले जारी करने का लक्ष्य है। प्रस्ताव विचाराधीन है। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित रूप से परियोजना समीक्षा बैठकें की जा रही हैं।

ईडीएफ: ईडीएफ द्वारा निवेश - 2 करोड़ रुपये डॉटर फंड्स के लिए ईडीएफ की शेष प्रतिबद्धता के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। अधिकांश डॉटर फंड्स ने अपना निवेश पूरा कर लिया है और विनिवेश शुरू कर दिया है।

61. समिति नोट करती है कि 2023-24 के दौरान बजट अनुमान में प्रस्तावित निधि और आवंटन के बीच काफी अंतर था। इस संबंध में, समिति ने 2023-24 के दौरान निधि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानना चाहा। इस पर मंत्रालय ने बताया:

> "मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान के रूप में 3500 करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसमें से योजना के लिए 700.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। यदि आवंटित बजट अपर्याप्त पाया जाता है, तो आरई स्तर पर अतिरिक्त बजट की मांग की जा सकती है"।

62. इस योजना के कार्यान्वयन में आ रही प्रमुख बाधाओं और इसके समाधान के लिए किए गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:-

"भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर निर्माण क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख बाधाएं निम्नानुसार हैं:

- घरेलू विनिर्माण में अक्षमताओं को दूर करना: भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र कुछ अक्षमताओं का सामना करना पड़ता है जो घरेलू विनिर्माण को कम प्रतिस्पर्धी बना देता है। इसमें योगदान देने वाले तीन सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं बुनियादी ढांचे की स्थिति, बिजली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता और वित्त की लागत।
- प्रौद्योगिकी परिवर्तन की विविधता और वेग: इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापक है और सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है। विभिन्न तकनीकों, अनुप्रयोगों, उपकरणों, प्रणालियों और सॉफ़्टवेयर के बीच अभिसरण, लगातार प्रौद्योगिकी परिवर्तन ला रहा है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकियों का आधा जीवन लगातार कम हो रहा है और कुछ वर्टिकल में छह महीने से भी कम होने का अनुमान है"।

(iii) <u>डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना</u>

63. डिजिटल भुगतानों के संवर्धन के संबंध में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बजटीय आबंटन और उपयोग सहित अगले वित्तीय वर्ष के लिए आबंटन निम्नानुसार हैं -

(करोड़ रुपये में)

	2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
प्रस्तावित	860.00	320.00	300.00	570.00	890.65
बीई	600.00	220.00	1500.00	200.00	1500.00
आरई	480.00	300.00	1500.00	2137.00	-
वास्तविक	511.53	523.48	1044.34	165.85*	-
आरईके संबंध में%	107	174	70	8	-

**31.01.2023 तक* की स्थिति के अनुसार

64. मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत योजना का अवलोकन इस प्रकार है:

"योजना का नाम: डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना

योजना की अवधि: 5 वर्ष (2021-2026)

उद्देश्य: डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक अनिवार्य पहलू है और इसमें समावेशी वित्तीय सेवाओं का विस्तार करके भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता है। योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर, ग्रामीण और अन्य अप्रयुक्त क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे में वृद्धि।
- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख ट्रेडों की पूरी आपूर्ति-श्रृंखला में डिजिटल भुगतान का एंड-टू-एंड एकीकरण।
- देश भर में सरकारी क्षेत्र में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना।
- अन्यथा डिजिटल रूप से बहिष्कृत जनसंख्या खंडों की आजीविका के साथ कैशलेस भुगतान को जोड़ने वाले लक्षित हस्तक्षेप / मॉडल।
- लक्षित जागरूकता और प्रोत्साहन कार्यक्रमों को निष्पादित करना।
- फिनटेक डोमेन में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और उन्हें सक्षम बनाना।
- मजबूत शिकायत निवारण तंत्र सहित डिजिटल भुगतान में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना।
- घरेलू भुगतान मोड (रुपे कार्ड और यूपीआई) का अंतर्राष्ट्रीयकरण ।

वर्षवार प्रस्तावित परिणाम:

वर्ष	**लक्ष्य (डिजिटल भुगतान लेनदेन की संख्या) (संख्या करोड़ में)**
2021-22	8840 (प्राप्त)
2022-23	13000
2023-24	21000
2024-25	30000
2025-26	42000

सनसेट तिथि - 31 मार्च, 2026

65. वर्ष 2022-23 के दौरान बजट अनुमान स्तर पर आवंटित राशि की तुलना में संशोधित अनुमान स्तर पर इस योजना के आवंटन में दस गुना वृद्धि के कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

> "वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट में यह घोषणा की गई थी कि 'पिछले बजट में घोषित डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए वित्तीय सहायता वर्ष 2022-23 में भी जारी रहेगी'। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट घोषणा के अनुपालन में, अप्रैल 2022 से एक वर्ष की अवधि के लिए रुपेडेबिट कार्ड और कम मूल्य वालेभीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति से व्यापारी) के प्रचार के लिए प्रोत्साहन

योजना को जनवरी, 2023 में अनुमोदित किया गया जोवित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आरई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है"।

66. यह पूछे जाने पर कि वर्ष 2023-24 के दौरान प्रस्तावित राशि की तुलना में योजना के लिए बढ़े हुए आवंटन का उपयोग किस प्रकार किए जाने की संभावना है, समिति को निम्नानुसार अवगत कराया गया: -

"वित्तीय वर्ष 2022-23 के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बढ़ा हुआ आबंटन 'रूपे डेबिट कार्ड के प्रचार के लिए प्रोत्साहन योजना और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति-से-व्यापारी)' के लिए उपयोग किया जाना है"।

67. वर्ष 2022-23 के दौरान बीई और आरई चरण में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों और मंत्रालय द्वारा हासिल उपलब्धियों के संबंध में, निम्नानुसार बताया गया था:

"01 अप्रैल, 2022 से 1 वर्ष के लिए 2600 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन (2,000 रुपये तक) (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को दिनांक 11.1.2023 मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हैऔर 14.1.2023 को मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईएसबी योजना केवल जनवरी, 2023 में स्वीकृत की गई थी, हालांकि, आरई 2022-23 के तहत आवंटित निधि का उपयोग वित्तीय वर्ष के अंत तक पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही के भुगतान के लिए किए जाने की संभावना है। आईएसबी योजना वर्ष 2022-23 क्योंकि इसके लिए दावों पर कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही फरवरी 2023 में जारी किया जाएगा"।

68. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किए गए विभिन्न कार्यकलाप इस प्रकार हैं:-

1. प्रोत्साहन योजनाएँ:
2. अभिनव भुगतान समाधानों का शुभारंभ
3. डिजिटल भुगतान स्वीकृति अवसंरचना
4. डिजिटल भुगतान डैशबोर्ड
5. जागरूकता और क्षमता निर्माण पहल

6. फिनटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना
7. डिजिटल भुगतान पुरस्कार
8. डिजिटल भुगतान के साथ स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने की पहल
9. वैश्विक स्तर पर स्वदेशी भुगतान समाधान भीम-यूपीआई और रुपे का बढ़ावा
10. साइबर धोखाधड़ी के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए पहल और अभियान

उपर्युक्त का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

69. पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों के संबंध में लेनदेन की कुल संख्या और लेन-देन की गई कुल धनराशि के बारे में विवरण निम्नानुसार है:

डिजिटल भुगतान का माध्यम	**वित्त वर्ष 2019-20**		**वित्त वर्ष 2020-21**		**वित्त वर्ष 2021-22**	
	मात्रा करोड़ में	**मूल्य करोड़ में**	**मात्रा करोड़ में**	**मूल्य करोड़ में**	**मात्रा करोड़ में**	**मूल्य करोड़ में**
एनएसीएच	340	1,762,848	363	1,903,275	384	2,193,870
आईएमपी	258	2,337,390	328	2,941,349	466	4,166,458
भीम-यूपीआई	1,252	2,131,730	2,233	4,103,653	4,597	8,417,731
एईपीएस	90	118,829	134	342,037	126	306,294
एनईटीसी	58	11,294	133	22,761	244	38,801
डेबिट कार्ड	512	979,143	411	814,269	395	730,274
क्रेडिट कार्ड	218	730,986	176	630,415	224	971,632
एनईएफटी	274	22,945,580	309	25,130,909	404	28,725,463
आरटीजीएस	15	154,906,073	16	105,599,849	21	128,657,516
प्रीपेड साधन	533	215,399	494	197,685	658	293,658
क्लोज्ड लूप	150	6,712	23	813	36	1,537

वॉलेट						
इन्टरनेट बैंकिंग	189	35,939,259	204	72,564,718	390	35,153,670
मोबाइल बैंकिंग	126	776,664	99	969,087	143	1,170,184
अन्य	556	72,424,623	630	84,772,378	753	91,280,606
कुल	**4,572**	**295,286,529**	**5,554**	**299,993,200**	**8,840**	**302,107,696**

नोट: वित्तीय वर्ष 2022-23 के आंकड़े अनंतिम हैं, 28 जनवरी , 2023 तक

70. यह पूछे जाने पर कि क्या भारत में डिजिटल भुगतान क्षेत्र में अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को हल करने के लिए कोई नोडल एजेंसी है और डिजिटल भुगतान से संबंधित धोखाधड़ी के शिकार लोगों के लिए क्या साधन उपलब्ध है, समिति को निम्नानुसार अवगत कराया गया: -

> "दिनांक 13.02.2017 की राजपत्र अधिसूचना भारत सरकार (व्यवसाय का आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार, "डिजिटल भुगतान सहित डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने" से संबंधित मामला इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को आबंटित किया गया है। इसके अलावा, पीएसएस अधिनियम, 2007 (भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम) भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए प्रावधान करता है और आरबीआई को उस उद्देश्य और सभी संबंधित मामलों के लिए प्राधिकरण के रूप में नामित करता है। उपरोक्त संदर्भित अधिनियम वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रशासित है ।
>
> गृह मंत्रालय, भारतसरकार ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) लॉन्च किया है, ताकि जनता को सभी प्रकार के साइबर-अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाया जा सके, जिसमें महिलाओं और बच्चे के खिलाफ साइबर-अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस प्रणाली से जुड़ गए हैं, जिसमें लगभग 177 बैंक, ई-वॉलेट, यूपीआई सेवा प्रदाता, ई-कॉमर्स कंपनियां आदि शामिल हैं।

ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी/शिकायतें दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री नंबर 1930 चालू किया गया है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्य रूप से अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) की क्षमता निर्माण, उनके एलईए के माध्यम से साइबर अपराधों सहित अपराधों की रोकथाम, पहचान, जांच और अभियोजन के लिए जिम्मेदार हैं। एलईए अपराधियों के खिलाफ कानून के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई करते हैं और गृह मंत्रालय साइबर अपराधों से निपटने के लिए उनकी क्षमता निर्माण और सलाह के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों की पहल को पूरा करता है"।

71. यह पूछे जाने पर कि क्या एमईआईटीवाई ने कभी पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण के अनुसरण में डिजिटल भुगतान से संबंधित मुद्दों के लिए एकल संपर्क केंद्र स्थापित करने पर विचार/ प्रस्तावित किया है, मंत्रालय ने बताया:

"गृह मंत्रालय, सरकार ने सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए जनता को सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) लॉन्च किया है। ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री नंबर **1930** चालू किया गया है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्य रूप से अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) की क्षमता निर्माण, उनके एलईए के माध्यम से साइबर अपराधों सहित अपराधों की रोकथाम, पहचान, जांच और अभियोजन के लिए जिम्मेदार हैं। एलईए अपराधियों के खिलाफ कानून के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई करते हैं और गृह मंत्रालय साइबर अपराधों से निपटने के लिए उनकी क्षमता निर्माण और सलाह के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों की पहल को पूरा करता है"।

72. समिति ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक प्रकार के डिजिटल भुगतानों के लिए प्रयोक्ता की शिकायतों (प्राप्त/निपटाए गए) की कुल संख्या और धोखाधड़ी के रिपोर्ट

(दायर/निपटाए गए) किए गए मामलों की कुल संख्या से संबंधित डाटा मांगा था और (1) सोशल इंजीनियरिंग से संबंधित धोखाधड़ी, (2) लालच में पड़ने वाले उपभोक्ताओं और (3) सिस्टम/नेटवर्क सुरक्षा में सेंध के संदर्भ में ऐसे धोखाधड़ी का खंडवार विवरण भी मांगा था। मंत्रालय से अपेक्षित सूचना प्रतीक्षित है।

73. डिजिटल भुगतान से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में मंत्रालय ने समिति को निम्नानुसार अवगत कराया: -

> "गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4सी)योजना ने अपनी विभिन्न पहलों में नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 के साथ (सीएफ़सीआरएमएस) शुरू की है ताकि साइबर जालसाजों द्वारा नागरिकों के धन के प्रवाह को रोका जा सके। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस प्रणाली से जुड़ गए हैं, जिसमें लगभग 177 बैंक, ई-वॉलेट, यूपीआई सेवा प्रदाता, ई-कॉमर्स कंपनियां आदि शामिल हैं।
>
> इसके अलावा, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्य रूप से अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) की क्षमता निर्माण, उनके एलईए के माध्यम से साइबर अपराधों सहित अपराधों की रोकथाम, पहचान, जांच और अभियोजन के लिए जिम्मेदार हैं। एलईए अपराधियों के खिलाफ कानून के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई करते हैं और गृह मंत्रालय साइबर अपराधों से निपटने के लिए उनकी क्षमता निर्माण और सलाह के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों की पहल को पूरा करता है।
>
> भारतीय रिजर्व बैंक ने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के मामले में ग्राहकों की देयता को सीमित करने के निर्देश जारी किए हैं। निम्नलिखित विवरण हैं:

(i) शून्य देयता: ग्राहक को कोई नुकसान उठाने की आवश्यकता नहीं है यदि कमी बैंक की ओर से है और ऐसे मामलों में जहां गलती न तो बैंक की है और न ही ग्राहक की, बल्कि सिस्टम में कहीं और है और ग्राहक अनधिकृत लेनदेन के बारे में संचार प्राप्त करने के तीन कार्य दिवसों के भीतर बैंक को सूचित करता है।

(ii) सीमित देयता:

- जहां नुकसान ग्राहक की लापरवाही के कारण होता है, ग्राहक को तब तक पूरा नुकसान उठाना पड़ता है जब तक कि ग्राहक बैंक को अनधिकृत लेनदेन की सूचना नहीं देता; और

- जहां गलती न तो ग्राहक की है और न ही बैंक की, और सिस्टम में कहीं और है और ग्राहक अनधिकृत लेनदेन के चार से सात कार्य दिवसों के बीच रिपोर्ट करता है, ग्राहक की अधिकतम देयता ₹5,000 से ₹25,000 तक होती है, जो खाते/इंस्ट्रूमेंट के प्रकार पर निर्भर करता है

(iii) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार देयता : यदि अनधिकृत लेन-देन की रिपोर्ट सात कार्य दिवसों के बाद की जाती है, तो ग्राहक की देयता बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

इसके अलावा**,** साइबर अपराधों के मुद्दे को हल करने के लिए सर्ट-इन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं**:**

i. भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) निरंतर आधार पर कंप्यूटर और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए नवीनतम साइबर खतरों/सुभेद्यताओं और प्रतिउपायों के बारे में अलर्ट और सलाह जारी करती है। सर्ट -इन ने नवंबर 2016 से नवंबर 2022 तक डिजिटल भुगतान के सुरक्षा पहलुओं के बारे में जागरूकता पर 69 केंद्रित सलाह जारी की है,जिसका उद्देश्य संगठनों और उपयोगकर्ताओं के लिए साइबर सुरक्षा में विशिष्ट क्षेत्र के लिए खतरे के वैक्टर का विश्लेषण करके और सर्वोत्तम प्रथाओं का सुझाव देकर साइबर सुरक्षा का पता लगाना है।

ii. सर्ट-इन ने साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनके संगठनों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन के लिए एक साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) तैयार की है। क्षेत्रीय संकट प्रबंधन योजना के विकास और कार्यान्वयन में सहायता के लिए दिशानिर्देश दस्तावेज़ और टेम्पलेट प्रकाशित किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) साइबर सुरक्षा ढांचे, न्यूनतम आधारभूत

लचीलापन आवश्यकताओं और सर्वोत्तम प्रथाओं/दिशानिर्देशों के माध्यम से बैंकों में सीसीएमपी के कार्यान्वयन को सक्षम कर रही है। संगठनों की साइबर सुरक्षा स्थिति को सक्षम और मूल्यांकन करने और सीसीएमपी कार्यान्वयन की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, सरकार और वित्तीय क्षेत्र में सर्ट -इन द्वारा नियमित रूप से साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल/अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं।

iii. नागरिकों के लिए मुफ्त उपकरण जारी: सर्ट -इन ने मुफ्त सुरक्षा उपकरण भी जारी किए हैं जिनका उपयोग नागरिक मोबाइल और डेस्कटॉप पर खतरों का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। ये बॉट रिमूवल टूल, यूएसबी प्रतिरोध,एप्प सैम्विड और एम -कवच हैं।

iv. सर्ट-इन घटना प्रतिक्रिया हेल्प डेस्क का संचालन कर रहा है, जिसमें फ़िशिंग वेबसाइटों जैसी घटनाएं जो पीड़ितों को संवेदनशील क्रेडेंशियल जानकारी प्रकट करने के लिए लुभाती हैं, उपयोगकर्ताओं और संगठनों द्वारा रिपोर्ट की जाती हैं। सर्ट -इन ऐसी फ़िशिंग वेबसाइटों को ट्रैक और अक्षम करने के लिए बैंकों, आरबीआई, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय सर्ट के साथ समन्वय में काम कर रहा है।

v. सर्ट-इन साइबर धोखाधड़ी और खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने और डिजिटल भुगतान प्रणाली को सुरक्षित करने के लिए उपयोगकर्ताओं और संगठनों के लिए सलाह जारी कर रहा है।

vi. सर्ट-इन बैंकों और वित्तीय क्षेत्र के संगठनों को नवीनतम साइबर खतरों और प्रत्युपायों की सलाह देने के लिए छोटे-छोटे अलर्ट प्रदान कर रहा है।

vii. पीड़ितों को जांच के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त के अलावा सर्ट-इन द्वारा निभाई गई भूमिका में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4सी) और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जांच के उद्देश्यों के लिए

स्थितिजन्य जागरूकता और धोखाधड़ी गतिविधियों का विश्लेषण प्रदान करना शामिल है"।

74. यह पूछे जाने पर कि क्या इस तरह की धोखाधड़ी के शिकार व्यक्ति द्वारा पालन किए जाने वाले किसी निर्धारित दिशानिर्देश या मानक संचालन प्रक्रिया थी, मंत्रालय ने सूचित किया कि: -

"गृह मंत्रालय, सरकार ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) लॉन्च किया है, ताकि जनता डिजिटल भुगतान संबंधी धोखाधड़ी सहित सभी प्रकार के साइबर-अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट कर सके। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस प्रणाली से जुड़ गए हैं, जिसमें लगभग 177 बैंक, ई-वॉलेट, यूपीआई सेवा प्रदाता, ई-कॉमर्स कंपनियां आदि शामिल हैं। ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी/शिकायतें दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री नंबर 1930 चालू किया गया है"।

(चार) भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम

75. भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए आवंटन के साथ-साथ पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बजटीय आवंटन और उपयोग निम्नानुसार हैं:-

(रुपये करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
प्रस्तावित	-	-	-	3000.00
बीई	-	-	-	3000.00
आरई	-	-	200.00	-
वास्तविक	-	-	0*	-
आरई के संदर्भ में %	-	-	0	-

** 31.01.2023* की स्थिति के अनुसार

76. मंत्रालय के अनुसार, भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। वर्ष के दौरान, भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं के तहत 6,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का अनुमान है। डीएलआई योजना के तहत, सेमीकंडक्टर आईपी कोर के डिजाइन और विकास के लिए 20 कंपनियों का समर्थन किए जाने की उम्मीद है।

77. भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम का अवलोकन प्रस्तुत करते समय, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

> "आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने और भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में टिकाऊ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए दिनांक 15.12.2021 को 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ व्यापक कार्यक्रम को मंजूरी दी।
>
> इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब्स, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग (एटीएमपी/ओएसएटी), सेमीकंडक्टर डिजाइन में लगी कंपनियों/कंसोर्टिया को आकर्षक प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना है। कार्यक्रम के भाग के रूप में, निम्नलिखित चार योजनाओं को 21.12.2021 को अधिसूचित किया गया था:
>
> - भारत में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने की योजना
> - भारत में डिस्प्ले फैब स्थापित करने की योजना
> - भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना
> - डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना
>
> इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह भी मंजूरी दी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल), मोहाली के आधुनिकीकरण और व्यावसायीकरण के लिए अपेक्षित कदम उठाएगा। एमईआईटीवाई ब्राउनफील्ड फैब

सुविधा के आधुनिकीकरण के लिए एक वाणिज्यिक फैब पार्टनर के साथ एससीएल के संयुक्त उद्यम की संभावना तलाशेगा।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21.09.2022 को "भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम" में संशोधन के लिए मंजूरी दे दी है, जिसे 15.12.2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। दिनांक 21.09.2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, संशोधित योजनाओं को दिनांक 04.10.2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

- इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और एक विश्वसनीय मूल्य श्रृंखला स्थापित करने में मदद करने के लिए देश में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए **'भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना।** यह योजना भारत में सिलिकॉन सीएमओएस आधारित सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए समान आधार पर 6 वर्षों की अवधि में परियोजना लागत के 50% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए देश में टीएफटी एलसीडी या अमोलेड आधारित डिस्प्ले पैनल के निर्माण के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए **'भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना'।** योजना भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए समरूप आधार पर 6 वर्षों की अवधि में परियोजना लागत के 50% वित्तीय समर्थन का विस्तार करती है।
- **कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग (एटीएमपी)/ ओएसएटी सुविधाओं की भारत में स्थापना** के लिए संशोधित योजना' पूंजीगत व्यय के 50% का वित्तीय समर्थन प्रदान करेगी। भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स (सिफ)/सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए समान आधार। योजना 31.12.2024 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली है।
- **डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना'** प्रस्ताव विकास के विभिन्न चरणों में वित्तीय प्रोत्साहन, डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर समर्थन और इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी), चिपसेट, चिप्स पर सिस्टम (एसओसी), सिस्टम और आईपी कोर और सेमीकंडक्टर

से जुड़े डिजाइन के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन की तैनाती की पेशकश करता है। यह योजना प्रति आवेदन ₹15 करोड़ की सीमा के अधीन पात्र व्यय के 50% तक का "उत्पाद डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन" प्रदान करती है और प्रति आवेदन ₹30 करोड़ की सीमा के अधीन 5 वर्ष की निवल बिक्री कारोबार के 6 % से 4% तक "डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव" प्रदान करती है।"

78. योजना के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख बाधाओं और उन्हें दूर करने के लिए किए गए उपायों के बारे में, समिति को निम्नवत बताया गया:-

"सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग बहुत जटिल और प्रौद्योगिकी इंटेंसिव इंडस्ट्री है जिसमें भारी पूंजी निवेश, उच्च जोखिम, लंबी अवधि और पे-बैक अवधि और प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव के लिए महत्वपूर्ण और निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है।

कार्यक्रम को पहले से स्थापित सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम वाले देशों और उन्नत नोड प्रौद्योगिकियों के मालिक सीमित संख्या में कंपनियों द्वारा पेश किए गए आक्रामक प्रोत्साहनों को देखते हुए संशोधित किया गया है। संशोधित कार्यक्रम का उद्देश्य सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की बढ़ती उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह कार्यक्रम सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ डिजाइन में कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिकी निर्माण में एक नए युग की शुरूआत करेगा।"

79. इस योजना के कार्यान्वयन की समग्र स्थिति और अब तक प्राप्त उपलब्धियों के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:-

"इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) को डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के भीतर एक स्वतंत्र व्यवसाय प्रभाग के रूप में स्थापित किया गया है, जिसके पास प्रशासन और वित्तीय स्वायत्तता है, ताकि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए भारत की रणनीतियों को चलाया जा सके। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उद्योग में वैश्विक विशेषज्ञों के नेतृत्व में आईएसएम योजनाओं के कुशल, सुसंगत और सुचारू कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा।

भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास कार्यक्रम के तहत कुल 29 आवेदन प्राप्त हुए हैं। भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के तहत तीन (3) आवेदन; भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना के तहत 2 आवेदन; भारत में कंपाउंड और एटीएमपी सुविधाओं की स्थापना के तहत 3 आवेदन; डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 21 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

आईएसएम ने भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग (एटीएमपी)/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए योजना के तहत अनुमोदन के लिए एक आवेदन की सिफारिश की है।

आईएसएम ने भारत में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने की योजना के तहत अनुमोदन के लिए एक आवेदन की भी सिफारिश की है।"

(पांच) <u>उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना</u>

80. उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के लिए, पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बजटीय आबंटन और उपयोग के साथ-साथ अगले वित्तीय वर्ष के लिए आबंटन निम्नवत हैं:-

(करोड़ रुपये में)

	2020-21	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
प्रस्तावित	-	-	5298.00	5355.00
बीई	-	-	5300.00	4645.04
आरई	-	-	2203.00	-
वास्तविक	-	-	885.11*	-
आरई के संबंध में %	-	-	40	-

**31.01.2023 तक* की स्थिति के अनुसार

81. इस योजना का अवलोकन प्रस्तुत करते हुए, मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:-

"बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) दिनांक 01.04.2020 को अधिसूचित की गई थी। यह योजना भारत में विनिर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष के दौरान) पर 3% से 6% तक

प्रोत्साहन बढाता है और लक्ष्य खंडों अर्थात मोबाइल फोन और विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटक के तहत शामिल किया गया जिसका उद्देश्य पात्र कंपनियों को 5 साल की अवधि के लिए, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सहित इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करना है।

आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई) को 03.03.2021 को अधिसूचित किया गया था। यह योजना चार साल (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक) की अवधि के लिए लक्ष्य खंडों- लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) और सर्वर के तहत माल की निवल वृद्धिशील बिक्री पर 4% से 2%/ 1% का प्रोत्साहन देती है। योजना के तहत लक्ष्य आईटी हार्डवेयर सेगमेंट में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) और सर्वर शामिल हैं।"

82. वर्ष 2022-23 के दौरान बजट अनुमान से संशोधित अनुमान के दौरान आवंटन में कमी के कारणों और निधियों के उपयोग की वास्तविक स्थिति के बारे में मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:

"प्रारंभ में, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण अवधि के लिए पीएलआई योजना अगस्त 2020 से मार्च 2025 (5 वर्ष के लिए) थी। हालांकि, महामारी से संबंधित लॉकडाउन के कारण उत्पादन गतिविधियों में व्यवधान, कर्मियों की आवाजाही पर प्रतिबंध, स्थानांतरित संयंत्र और मशीनरी की स्थापना में देरी और कोविड-19 महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान को देखते हुए योजना के लाभार्थी के लिए विस्तार का विकल्प उपलब्ध कराया गया था। 32 लाभार्थियों में से 31 ने विस्तार का विकल्प चुना। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 5300 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय तय किया गया था, हालांकि, विस्तार का विकल्प चुनने के बाद, उनके उत्पादन के आधार पर वार्षिक परिव्यय को संशोधित कर 2203 करोड़ रुपये कर दिया गया था।"

83. इस योजना के तहत 2023-24 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में, मंत्रालय ने समिति को निम्नवत बताया:-

"वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एमईआईटीवाई की पीएलआई योजनाओं के तहत स्वीकृत आवेदकों को प्रोत्साहन के लिए 4,645 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

एमईआईटीवाई पीएलआई योजनाओं के तहत प्रदर्शन में सुधार करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हितधारकों के साथ लगातार काम कर रहा है।"

84. इस योजना के कार्यान्वयन की समग्र स्थिति और अब तक प्राप्त उपलब्धियों को प्रस्तुत करते समय मंत्रालय ने निम्नवत बताया हैं:-

"योजना सफलतापूर्वक चल रही है। दिसंबर 2022 तक, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना के तहत ₹2,39,609 करोड़ का उत्पादन; 5,124 करोड़ रुपये का निवेश और 52,509 लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा, दिसंबर 2022 तक, आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के कारण 4138 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ, 129 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और 514 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए। इसके अलावा, आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना का दूसरा दौर तैयार किया जा रहा है।"

(i) <u>भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)</u>

85. यूआईडीएआई के संबंध में विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बजटीय आबंटन और उपयोग तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए आबंटन निम्नानुसार हैं:-

(रुपये करोड़ में)

	2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
प्रस्तावित	1650.00	1500.00	1200.00	1400.00	1800.00
बीई	1227.00	985.00	600.00	1110.00	940.00
आरई	836.78	613.00	884.97	1110.00	-
वास्तविक	836.78	613.00	1564.80	1110.00*	-
आरई के संदर्भ में %	100	100	177	100	-

**31.01.2023 की स्थिति तक*

86. 2022-23 के दौरान यूआईडीएआई के प्रमुख लक्ष्यों और उपलब्धियों सहित इसके प्रमुख कार्यकलापों के संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अवलोकन निम्नवत है:-

"भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), जो आधार अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए विनियमों द्वारा शासित है, भारत के सभी निवासियों को

डिजिटल पहचान (आधार) और डिजिटल प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। अब तक यूआईडीएआई द्वारा 135 करोड़ से अधिक आधार संख्या जारी की जा चुकी है। अनुमानित मृत्यु के समायोजन के बाद, 31.12.2022 तक जीवित आधार संख्या धारकों की अनुमानित संख्या 129.69 करोड़ है।

क) 31 दिसंबर 2022 तक, लगभग 137.29 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या (2022) के विरुद्ध 135.43 करोड़ आधार सृजित किए जा चुके हैं। हालाँकि, आधार धारकों की वास्तविक संख्या मृत्यु के कारण जारी किए गए आधार की संख्या से हमेशा कम होगी। इसलिए, आधार रखने वाले जीवित व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए "लाइव आधार" की अवधारणा पेश की गई है। तदनुसार, लाइव आधार की संख्या की गणना 129.69 करोड़ के रूप में की गई है, जो अनुमानित जनसंख्या के 94.46% को कवर करती है।

वर्ष 2022 (जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022) में किये गये कुल नामांकन एवं अद्यतन इस प्रकार हैं:

- नामांकन - 2.95 करोड़
- अद्यतन - 16.62 करोड़

ख) 31 दिसंबर 2021 तक, आधार नामांकन/अद्यतन गतिविधियों के लिए विभिन्न रजिस्ट्रारों के तहत देश भर में 53,640 नामांकन स्टेशन कार्यरत थे, जिन्हें बढ़ाकर देश भर में 66,699 नामांकन स्टेशनों पर परिचालन किया गया था।

ग) माई आधार पोर्टल के माध्यम से आधार में परिवार के मुखिया (एचओएफ़) आधारित पता अद्यतन किया जाना। यूआईडीएआई ने एचओएफ की सहमति से आधार में ऑनलाइन पता अपडेट करने में उनकी मदद करने के लिए रेजिडेंट फ्रेंडली सुविधा शुरू की है। आधार में एचओएफ आधारित ऑनलाइन पता अपडेट एक निवासी के रिश्तेदार (जैसे बच्चे, पति या पत्नी, माता-पिता आदि) के लिए बहुत मददगार होगा, जिनके पास अपने आधार में पता अपडेट करने के लिए स्वयं के नाम पर सहायक दस्तावेज नहीं हैं। यह राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि जैसे संबंध दस्तावेज का प्रमाण प्रस्तुत करके किया जा सकता है, जिसमें आवेदक और एचओएफ़ दोनों के नाम और उनके बीच संबंध और एचओएफ़ द्वारा ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण का उल्लेख हो। यदि रिश्ते का प्रमाण दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है, तो यूआईडीएआई निवासी को यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित प्रारूप में एचओएफ द्वारा स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए प्रदान करता है।

घ) वयस्क निवासियों के नामांकन/अद्यतन (>18), 0-18 वर्ष के आयु वर्ग के निवासियों के आधार नामांकन/अद्यतन और 0-5 वर्ष के आयु वर्ग में बाल नामांकन के लिए अलग-अलग आधार नामांकन फॉर्म की शुरुआत।

ङ) यूआईडीएआई ने अगस्त 2022 से दस्तावेज़ अद्यतन परियोजना शुरू की है। जिन निवासियों को 10 साल पहले अपना आधार जारी किया गया था, और उसके बाद इन वर्षों में कभी भी अपडेट नहीं किया गया है, ऐसे आधार संख्या धारकों को अपने दस्तावेज़ अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगस्त 2022 से 31 जनवरी 2023 तक कुल 13.79 लाख दस्तावेज अपडेट किए गए।

च) आधार जारी करने से पहले राज्य सरकार की मशीनरी के माध्यम से वयस्क नामांकन के सत्यापन के लिए एनआईसी सर्विस प्लस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पोर्टल का विकास करना।

छ) यूआईडीएआई द्वारा संचालित आधार सेवा केंद्र की स्थापना, जो सप्ताह के सभी 7 दिनों (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) पर उच्च सेवा क्षमता, आरामदायक वातानुकूलित वातावरण, कई नामांकन काउंटर, बैठने की व्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक टोकन प्रणाली के अलावा अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। निवासियों के पास इन एएसके पर सेवा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने का विकल्प है। दिनांक 31-12-2021 की स्थिति अनुसार आधार नामांकन कार्यात्मक की संख्या 64 थी जिसे 72 प्रमुख शहरों को कवर करते हुए बढ़ाकर 88 कर दिया गया है।

ज) दिनांक 31-12-2021 की स्थिति अनुसार आधार सृजन का सेचुरेशन स्तर-93.13% था, जो 31-12-2021 तक बढ़कर 94.46% हो गया।

झ) डुप्लीकेट आधार के सृजन की संभावना को कम करने के लिए डी-डुप्लिकेशन हेतु एक साधन के रूप में मुख (फेस) को शामिल करते हुए सभी वयस्क नामांकनों के लिए दो बायोमेट्रिक सेवा प्रदाताओं द्वारा 1:एन डी-डुप्लीकेशन के लिए प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन करना।

ञ) आधार के नामांकन/अद्यतन के लिए निवासी द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों की 100% गुणवत्ता जांच करना।

ट) भुवन पोर्टल की शुरूआत जिसके माध्यम से निवासी देश भर में नेविगेशन के साथ आधार नामांकन केंद्रों का पता लगा सकते हैं।

ठ) इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से लगभग 1 लाख डाकिया को ऑन-बोर्डिंग करने के लक्ष्य के विरुद्ध 31 दिसंबर तक 99,695 मशीनें सक्रिय हो चुकी हैं और 54,766 ऑपरेटर ऑन-बोर्ड हैं।

ड) आधार प्रमाणीकरण एक मांग संचालित सेवा है। ऑनलाइन प्रमाणीकरण के बढ़ते उपयोग के कारण, आधार प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक अनुरोध करने वाली संस्थाओं के शामिल होने के कारण, वर्तमान समय में प्रति दिन अधिकतम 08 करोड़ ऑनलाइन प्रमाणीकरण होते हैं।"

87. वर्ष 2023-24 के दौरान बजट अनुमान में प्रस्तावित राशि और आवंटन के बीच पर्याप्त अंतर और 2023-24 के दौरान निधियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों के मुद्दे पर विचार करते हुए मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"एमईआईटीवाई ने यूआईडीएआई द्वारा अनुमानित 2102.04 करोड़ रुपये की कुल आवश्यकता के विरुद्ध वर्ष 2023-24 के लिए यूआईडीएआई के लिए बीई के रूप में 940.00 करोड़ ₹ आवंटित किए हैं।

वित्त वर्ष के लिए 940.00 करोड़ रु. का आवंटन यूआईडीएआई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 पर्याप्त नहीं होगा। वर्तमान में, यूआईडीएआई नामांकन और अद्यतन अनुरोध में वृद्धि को पूरा करने के साथ-साथ उन्नत प्रमाणीकरण संबंधी सेवाओं के समर्थन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन की प्रक्रिया में है। साथ ही विभिन्न यूआईडीएआई सेवाओं के लिए नए प्रबंधित सेवा प्रदाताओं के शामिल होने, डेटा केंद्रों (डीसी) के तकनीकी रिफ्रेश और अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) अनुरोधों की संख्या में वृद्धि के कारण संसाधनों की आवश्यकता में वृद्धि हुई है। आशा है कि एमईआईटीवाई अपनी प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए यूआईडीएआई के बजट आवंटन में वृद्धि करेगा।

यूआईडीएआई के व्यय का एक प्रमुख क्षेत्र आधार सृजन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन के लिए रजिस्ट्रारों को जारी की जाने वाली सहायता है। उपर्युक्त के अलावा, यूआईडीएआई को आधार नामांकन और अद्यतन के लिए यूआईडीएआई एएसके के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं के लिए एएसके सेवा प्रदाताओं को भुगतान करने की आवश्यकता होती है। आधार नामांकन और अद्यतन विनियम 2016 के

विनियम 28 (1) (ई) के अनुसार, प्रत्येक आधार धारक को 5 और 15 वर्ष की आयु का होने पर अपने आधार में अपने बायोमेट्रिक्स को अपडेट कराना अनिवार्य है। यूआईडीएआई का लक्ष्य आधार नामांकन के लिए कवर नहीं किए गए निवासियों और नवजात निवासियों को कवर करना और 5/15 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को कवर करना है।"

88. इस विशिष्ट प्रश्न पर कि यूआईडीएआई संगठन की बजटीय आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर रहा है, समिति ने निम्नवत बताया:-

"यूआईडीएआई की बजटीय आवश्यकता एमईआईटीवाई से प्राप्त सहायता अनुदान के माध्यम से पूरी की जाती है। यूआईडीएआई को अद्वितीय पहचान संख्या निर्दिष्ट करके भारत में रहने वाले व्यक्तियों को सुशासन, कुशल, पारदर्शी और सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण प्रदान करने के अपने जनादेश को पूरा करने के लिए डीईआईटीवाई से पर्याप्त अनुदान की आवश्यकता होती है। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि यूआईडीएआई के पास प्रमाणीकरण सेवा शुल्क, प्रमाणीकरण लाइसेंस शुल्क, स्वयं सेवा अद्यतन पोर्टल (यानी नाममात्र) और अन्य विविध प्राप्तियों से स्वयं की रसीदें/आय होती है।"

89. वर्ष 2023-24 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों और उसे प्राप्त करने के लिए किए जा रहे उपायों के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत सूचित किया:-

"यूआईडीएआई निम्नलिखित उपायों के माध्यम से आधार नामांकन पारिस्थितिकी तंत्र को और सुदृढ़ करने की प्रक्रिया में है जो प्रगति पर है:

क) यूआईडीएआई ने एनआईसी और सभी राज्यों/यूएटी के सहयोग से इस पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा सत्यापित नए आधार के लिए अनुरोध प्राप्त करने के लिए एक राज्य सरकार का पोर्टल विकसित किया है- इस प्रणाली के तहत आधार के लिए नामांकन करवा रहे निवासी द्वारा प्रदान किया गया जनसांख्यिकीय विवरण, सत्यापन के लिए संबंधित राज्य/यूएटी के साथ साझा किया जाएगा;

ख) वयस्क निवासियों के नामांकन/अद्यतन (>18), 0-18 वर्ष के आयु वर्ग के निवासियों के आधार नामांकन/अद्यतन और 0-5 वर्ष के आयु वर्ग में बाल नामांकन के लिए अलग-अलग आधार नामांकन प्रपत्रों की शुरुआत;

ग) स्वीकार्य समर्थन दस्तावेजों की सरलीकृत संशोधित सूची की शुरूआत।

घ) प्रत्यक्ष अंतर के साथ विदेश में रहने वाले प्रवासियों को आधार जारी करने के लिए प्रोटोकॉल।

ङ) प्रमुख जिलों में यूआईडीएआई आधार सेवा केंद्रों की संख्या में और वृद्धि।

च) मृत कर्मियों के आधार को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया को स्वचालित करना।

दस्तावेज़ की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए दस्तावेज़ जारी करने वाले प्राधिकरण के साथ एपीआई आधारित एकीकरण।"

90. डिजिटल भुगतान और ई-केवाईसी प्रक्रिया में आधार के उपयोग/अपनाने की प्रतिक्रिया और डिजिटल भुगतान और ई-केवाईसी प्रक्रिया में आधार नामांकन और आधार के उपयोग/अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एमईआईटीवाई द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म के रूप में आधार को देशव्यापी स्वीकृति मिली है और अब तक लगभग 136 करोड़ आधार जारी किए जा चुके हैं। प्रतिदिन एक करोड़ से अधिक ई-केवाईसी लेनदेन सहित लगभग 8 करोड़ प्रमाणीकरण लेनदेन किए जा रहे हैं। स्थापना के बाद से, लगभग 1412 करोड़ ई-केवाईसी प्रमाणीकरण किए गए हैं। सभी अनुप्रयोगों में उपयोग में आसानी और अद्यतन डेटा की उपलब्धता के कारण ईकेवाईसी का उपयोग बढ़ रहा है।

आधार ई-केवाईसी के उपयोग/अपनाने को बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2021 में, यूआईडीएआई ने आधार ई-केवाईसी लेनदेन के लिए दरों में भारी कमी की है। 20 से 3 रुपये प्रति लेनदेन जबकि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए यह 1/- रुपये है (केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार)।

आधार ई-केवाईसी में पिछले तीन वर्षों के दौरान जबरदस्त वृद्धि देखी गई है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	आधार ई-केवाईसी की संख्या **(करोड़ में)**

2019	91.52
2020	102.35
2021	193.29
2022	313.86

वित्तीय समावेशन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) का भी निरंतर आधार पर बढ़ रहा है जैसा कि नीचे दिखाया गया है:"

वर्ष	एईपीएस लेनदेन की संख्या (करोड़ में)
2020-21	392.10
2021-22	431.40
2022-23 (जनवरी 2023 तक)	403.24

91. आधार डेटाबेस में मृत्यु रिकॉर्ड के मिलान के लिए मौजूदा तंत्र के बारे में और क्या इसे समय-समय पर अद्यतन करने के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार के आंकड़ों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव था, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार देश में जन्म और मृत्यु के संरक्षक होते हैं। यूआईडीएआई डेटाबेस के साथ सीआरएस डेटाबेस में आधार संख्या के साथ मृत्यु रिकॉर्ड के मिलान की प्रक्रिया और आधार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन आधार संख्याओं को हटाने/निष्क्रिय करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा आरजीआई ने आरबीडी संशोधन के मसौदे पर यूआईडीआई से सुझाव मांगे थे ताकि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते समय मृत व्यक्ति की आधार संख्या प्राप्त की जा सके।"

92. यह पूछे जाने पर कि क्या आधार के रूप में डेटा का अत्यधिक केंद्रीकरण हुआ है और विभिन्न अन्य दस्तावेजों और सेवाओं के साथ लिंक वाले आधार के रूप में डेटा के बहुत अधिक केंद्रीकरण के गुण बनाम दोष हैं, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"आधार डेटाबेस में सभी डोमेन विशिष्ट लेनदेन डेटा नहीं होते हैं और इसलिए निवासी का विशिष्ट लेनदेन डेटा एक सामान्य डेटाबेस में केंद्रीकृत होने के बजाय कई उपयोगकर्ता एजेंसियों के डेटाबेस में सम्मिलित रहता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न प्रणालियों ने यूआईडीएआई (आधार संख्या के उपयोग के माध्यम से) का संदर्भ दिया हो

सकता है, लेकिन यूआईडीएआई इनमें से किसी भी प्रणाली के लिए रिवर्स लिंक नहीं रखता है। उदाहरण के लिए, बैंक खाता खोलते समय, बैंक के पास आधार संख्या होगी, लेकिन बैंक खाता संख्या या किसी बैंकिंग लेनदेन विवरण सहित बैंक द्वारा रखे गए किसी भी डेटा के लिए यूआईडीआई गुप्त नहीं होगा। इसलिए आधार सीडिंग सख्ती से एक तरफा लिंकेज है, जिसमें यूआईडी डेटाबेस में उक्त डेटाबेस से किसी भी डेटा को पूल किए बिना लाभार्थी डेटाबेस में आधार नंबर शामिल किया जाता है।"

******

<u>अनुबंध- एक</u>

<u>डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए की गई गतिविधियाँ</u>

1. **प्रोत्साहन योजनाएँ:** डिजिटल भुगतान को अपनाने को उत्प्रेरित करने के लिए, सरकार ने व्यापारियों, व्यक्तियों और बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएँ शुरू की हैं। उनमें से कुछ व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भीम कैशबैक योजनाएं, भीम आधार व्यापारी प्रोत्साहन योजना, भीम-यूपीआई मर्चेंट ऑन-बोर्डिंग योजना और एमडीआर प्रतिपूर्ति योजना थीं।

   देश में डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाने के लिए, रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को 15 दिसंबर, 2021 को आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन के पश्चात, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 17 दिसंबर, 2021 की गजट अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया था। यह योजना देश में डिजिटल लेनदेन को और बढ़ावा देने के लिए बजट घोषणा (वित्त वर्ष 2021-22) के अनुपालन में तैयार की गई थी। इस योजना के तहत, अधिग्रहण करने वाले बैंकों को 01अप्रैल, 2021से एक वर्ष की अवधि के लिए रुपेडेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआईलेनदेन (2,000 रुपये तक) (पी2एम) के मूल्य के प्रतिशत का भुगतान करके सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। यह योजना 31 मार्च 2022 को समाप्त हो गई।

हाल ही में, देश में आबादी के सभी क्षेत्रों और वर्गों में डिजिटल भुगतान की पैठ को और गहरा करने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है जिसमे वित्तीय परिव्यय ₹2,600 करोड़ है। यह प्रोत्साहन योजना एक मजबूत डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करेगी। **'सबका साथ, सबका विकास'** के उद्देश्य के अनुरूप, यह योजना यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे को किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल भुगतान समाधान के रूप में भी बढ़ावा देगी।

2. **अभिनव भुगतान समाधानों का शुभारंभ:** देश भर के नागरिकों के लिए आसान और सुविधाजनक डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए विभिन्न अभिनव भुगतान समाधान शुरू किए गए हैं।

   - **भीम 2.0**: भीम ऐप कई बैंक खातों के माध्यम से यूपीआई के माध्यम से आसान डिजिटल भुगतान की सुविधा देता है। भीम (भीम 2.0) का नया संस्करण माननीय एमईआईटी द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 को विभिन्न नई सुविधाओं के साथ लॉन्च किया गया था। भीम ऐप को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, नए फीचर्स जैसे मैंडेट की शुरुआत, ओवर-ड्राफ्ट अकाउंट को लिंक करना, इनबॉक्स में इनवॉइस, डोनेशन, मर्चेंट ऑफर और नई भाषाओं की शुरुआत की गई है। वर्तमान में भीम उपयोगकर्ता इस ऐप को 13 भाषाओं में अभिगम कर सकते हैं।

   - **भीम आधार पे:** भीम आधार पे, एईपीएस (आधार सक्षम भुगतान प्रणाली) का मर्चेंट संस्करण 14 अप्रैल, 2017 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था जो स्मार्ट फोन या कार्ड का उपयोग किए बिना भुगतान करने की अनुमति देता है। भीम-आधार पे ऐप आधार डेटाबेस के साथ उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण को प्रमाणित करके फिंगरप्रिंट स्कैनर के माध्यम से डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाता है।

   - **नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी)**: सरकार ने सार्वजनिक परिवहन और खुदरा, पार्किंग आदि सहित अन्य कम मूल्य के लेनदेन के लिए नागरिकों को डिजिटल भुगतान का एक आसान, सुविधाजनक और तेज़ तरीका प्रदान करने के लिए एनसीएमसी लॉन्च किया है। एनसीएमसी 'वन नेशन वन कार्ड' के दृष्टिकोण

को पूरा करने के लिए रिटेल के साथ-साथ सभी मेट्रो और बस सेवाओं में एकल इंटरऑपरेबल डिजिटल भुगतान मोड को सक्षम करेगा।

- **ई-रुपी:** माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 02 अगस्त, 2021 को "ई-रुपी"- एक व्यक्ति और उद्देश्य विशिष्ट, संपर्क रहित और कैशलेस डिजिटल भुगतान समाधान लॉन्च किया है। ई-रुपी 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' योजनाओं के लिए एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण के लिए लक्षित, पारदर्शी और लीकेज मुक्त वितरण है। ई-रुपी एक प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक वाउचर (क्यूआर कोड या एसएमएस आधारित) है जिसका उपयोग लक्षित नागरिकों को एक विशिष्ट सब्सिडी या कल्याण लाभ के वितरण के लिए सरकारी संगठनों/कॉर्पोरेट्स/एनजीओ द्वारा किया जा सकता है। लाभार्थी बिना कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के ई-रुपी स्वीकार करने वाले व्यापारियों पर केवल एसएमएस या क्यूआर कोड दिखाकर ई-रूपी वाउचर को भुना सकेंगे। निजी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड टीकाकरण को प्रायोजित करने के लिए ई-रुपी का पहला उपयोग मामला शुरू किया गया है। विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं के लिए ई-रूपी को और बढ़ाया जा सकता है।

- **यूपीआई 123पे:** यूपीआई 123पे फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जो सुरक्षित और सुरक्षित तरीके से एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) भुगतान सेवा का उपयोग कर सकते हैं। यूपीआई 123पे के माध्यम से, फीचर फोन उपयोगकर्ता अब चार प्रौद्योगिकी विकल्पों के आधार पर लेनदेन करने में सक्षम होंगे। उनमें एक आईवीआर (इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस) नंबर पर कॉल करना, फीचर फोन में ऐप की कार्यक्षमता, मिस्ड कॉल-आधारित दृष्टिकोण और निकटता ध्वनि-आधारित भुगतान भी शामिल हैं।

- **यूपीआई लाइट** - ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ऑफलाइन यूपीआई भुगतान को सक्षम करने के लिए, यूपीआई लाइट को यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए 'ऑन-डिवाइस वॉलेट कार्यक्षमता' के साथ डिजाइन किया गया है।

3. **डिजिटल भुगतान स्वीकृति अवसंरचना:** पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारों के समन्वित प्रयासों से देश में डिजिटल भुगतान स्वीकृति अवसंरचना में वृद्धि हुई है। स्थिति नीचे दी गई है:

भुगतान अवसंरचना (लाख में)

भुगतान प्रणाली अवसंरचना	मार्च-21	अक्टूबर -22	विकास (% में)
भीम-यूपीआई क्यूआर कोड	925.22	2,253.23	144.53
भारत क्यूआर कोड	35.70	47.49	32.18
पीओ	47.20	72.11	52.78

स्रोत: **आरबीआई**

4. **डिजिटल भुगतान डैशबोर्ड: डिजिधन** डैशबोर्ड (https://digipay.gov.in) को देश में होने वाले डिजिटल भुगतान लेनदेन की रिपोर्टिंग, निगरानी और विश्लेषण के लिए एक मंच बनाने और भौतिक/मोबाइल/भीमआधार पीओएस डिवाइस की तैनाती के माध्यम से बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह देश में डिजिटल भुगतान लेनदेन के विकास पर नज़र रखने में मदद करता है और प्रचार गतिविधियों की प्रभावी योजना के लिए इनपुट प्रदान करता है। डैशबोर्ड में एक इंटरैक्टिव चैटबॉट 'डिजिधनमित्र' विकसित किया गया है जो डिजिधन डैशबोर्ड से ऑन-डिमांड डेटा और जानकारी प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित है। डीजिधनमित्र चैटबॉट को उपयोगकर्ता के साथ टेक्स्ट और वॉयस-आधारित बातचीत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह चित्रमय, सारणीबद्ध और पाठ्य प्रारूप में अनुकूलित जानकारी देने के लिए डिजिधन पोर्टल को माइन करता है। यह अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में प्रश्नों के उत्तर दे सकता है।

5. **जागरूकता और क्षमता निर्माण पहल**

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारों के साथ समन्वय में जागरूकता और क्षमता निर्माण की पहल की गई है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

i) **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)**

इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए पीएमजीदिशा शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल डिवाइड को पाटना है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति

(एसटी), गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों जैसे समाज के हाशिए वाले वर्गों सहित ग्रामीण आबादी को लक्षित करना है। उक्त योजना का विशेष ध्यान डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों के उपयोग पर लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने पर है। परिणाम माप मानदंड में प्रत्येक लाभार्थी द्वारा एकीकृत भुगतान इंटरफेस (भीम ऐप सहित), *99# (एक यूएसएसडी आधारित डिजिटल भुगतान मोड), आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग आदि का उपयोग करके कम से कम 5 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन करना शामिल है। अब तक कुल लगभग 6.68 करोड़ उम्मीदवारों का नामांकन किया गया है और 5.74 करोड़ को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 4.27 करोड़ अभ्यर्थियों को पीएमजीदिशा योजना के तहत प्रमाणित किया गया है।

ii) **डिजिटल भुगतान प्रशिक्षण**

देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं आदि सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लिए डिजिटल वित्तीय उत्पादों पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। ये प्रशिक्षण सत्र क्षेत्रों और लक्षित दर्शकों के प्रकार के आधार पर स्थानीय भाषाओं में आयोजित किए गए हैं।

iii) **डिजिटल भुगतान जागरूकता अभियान (डिजिटल भुगतान उत्सव)**

भारत सरकार भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) मना रही है। इस पहल के एक भाग के रूप में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 5 दिसंबर को "डिजिटल भुगतान उत्सव" मनाया। एक डिजिटल भुगतान प्रचार वीडियो 'चुटकी बजा के' लॉन्च किया गया है, जो डिजिटल भुगतान में आसानी पर प्रकाश डालता है। इस कार्यक्रम में डिजीधन लोगो का अनावरण किया गया, और रुपे वेयरेबल्स, सॉफ्टपोस आदि सहित कुछ नवीन भुगतान समाधानों का शुभारंभ किया गया। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 में उपलब्धियों के लिए शीर्ष बैंकों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित और मान्यता दी गई। आयोजन के दौरान, एमईआईटीवाई ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऑन-बोर्डिंग स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चार भुगतान प्रणाली एग्रीगेटर्स के योगदान को भी मान्यता दी।

iv) **डिजिटल भुगतान शिविर**

क. **वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी):** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकों को सलाह दी गई है कि वे यूपीआई और *99# (यूएसएसडी) के माध्यम से "गोइंग डिजिटल" पर प्रति माह 2 शिविर आयोजित करने के लिए अपने वित्तीय साक्षरता केंद्रों के माध्यम से विशेष शिविर आयोजित करें। विभिन्न लक्षित समूहों जैसे किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्यमियों, स्कूली बच्चों, स्वयं सहायता समूहों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए शिविर आरबीआई के अनुसार, 31 दिसंबर 2021 तक 1,495 वित्तीय साक्षरता केंद्रों का संचालन किया गया था।

ख. **बैंकों की ग्रामीण शाखाएं:** आरबीआई द्वारा बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को वित्तीय जागरूकता संदेशों और दो डिजिटल प्लेटफॉर्म यूपीआई और *99# (यूएसएसडी) को कवर करने के लिए प्रति माह एक शिविर आयोजित करने की सलाह दी गई है।

v) **वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना**

ईंट और मोर्टार केंद्रों के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर वित्तीय साक्षरता पर विशेष ध्यान देने के लिए ब्लॉक स्तर पर सीएफएल स्थापित किए गए हैं। प्रायोगिक परियोजना आरबीआई द्वारा 2017 में देश भर के नौ राज्यों के 80 ब्लॉकों में शुरू किया गया था और बाद में 2019 में इन राज्यों में 20 आदिवासी/आर्थिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में विस्तारित किया गया था। सीएफएल परियोजना के तहत केंद्रित हस्तक्षेप के लिए लक्षित समूहों में से एक के रूप में पहचान की गई है। सीएफएल की पहुंच को अब चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बढ़ाया जा रहा है, और आरबीआई के अनुसार जुलाई 2022 तक 1,112 सीएफएल का संचालन किया गया था। डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता सीएफएल परियोजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में से एक है।

vi) **इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बाट)**

ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने, भुगतान उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए, आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय देश भर में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बीएएटी) कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ई-बीएएटी कार्यक्रम के मुख्य जोर में शामिल हैं i) डिजिटल भुगतान उत्पादों के बारे में जागरूकता ii) धोखाधड़ी और जोखिम कम करने के बारे में जागरूकता iii) शिकायत निवारण के बारे में जागरूकता। लक्षित दर्शकों में समाज के सभी वर्ग शामिल हैं जिनमें बैंक कर्मचारी, ग्राहक, सरकारी अधिकारी,

छात्र, स्वयं सहायता समूह, किसान, दुकानदार, व्यापारी और आम आदमी शामिल हैं। कैलेंडर वर्ष 2019, 2020 और 2021 के दौरान, आरबीआई के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कुल 623 ई-बीएएटी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रतिभागियों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली, उनके लाभ और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के बारे में बताया गया।

vii) **डिजीसाथी का शुभारंभ**

डिजीसाथी, आरबीआई द्वारा शुरू की गई डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं के लिए 24x7 हेल्पलाइन है। हेल्पलाइन उपयोगकर्ता को डिजिटल भुगतान उत्पादों और कॉलर/उपयोगकर्ता द्वारा पूछी गई सेवाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी के साथ-साथ उत्पाद या सेवा का लाभ उठाने या उपयोग करने में सक्षम बनाती है। डिजीसाथी हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है और इसे 14431 और 1800 891 3333 पर टोल फ्री इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) के माध्यम से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है।

viii) **सोशल मीडिया पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना**

दीपावली, भाई दूज, क्रिसमस, नव वर्ष और गणतंत्र दिवस सहित विभिन्न अवसरों पर नागरिकों को डिजिटल भुगतान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल इंडिया और एमईआईटीवाई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पोस्ट प्रकाशित किए गए हैं।

6. **फिनटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना**

एमईआईटीवाई ने तमिलनाडु सरकार के सहयोग से और भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपीआई) के समन्वय से 2019 में चेन्नई में फिनटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) 'फिनब्लू' की स्थापना की है। सीओई को फिनटेक स्टार्टअप्स को सलाह देने और तकनीकी सहायता और फंडिंग प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। यह स्टार्ट-अप्स को अपनी इनक्यूबेशन सुविधा के माध्यम से विस्तार करने के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम प्रदान करता है। फिनब्लू इनक्यूबेशन प्रोग्राम में टेक स्टार्ट-अप्स के लिए को-वर्किंग स्पेस शामिल है और गो टू मार्केट रणनीति को बढ़ावा देने के लिए संरक्षक, निवेशक, बैंक, वित्तीय संस्थान आदि फिनटेक इकोसिस्टम तक पहुंच प्रदान करता है।

7. **डिजिटल भुगतान पुरस्कार**

   एमईआईटीवाई ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए योगदान के लिए विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों की पहचान के लिए एक वार्षिक पुरस्कार शुरू किया है।

8. **डिजिटल भुगतान के साथ स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने की पहल:** डिजिटल लेनदेन को बढ़ाने के लिए डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स के माध्यम से भीम-यूपीआई क्यूआर कोड के साथ पीएम स्वनिधि (प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि) योजना के लगभग 7 लाख लाभार्थियों को डिजिटल रूप से ऑनबोर्ड करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था।

9. **वैश्विक स्तर पर स्वदेशी भुगतान समाधान भीम-यूपीआई और रुपे का बढ़ावा:** भारत के स्वदेशी रूप से विकसित भीम-यूपीआई और रुपे कार्ड डिजिटल भुगतान को सक्षम करने के लिए विश्व स्तर के प्लेटफॉर्म हैं। एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के कई देशों ने 'वास्तविक समय भुगतान प्रणाली' या 'घरेलू कार्ड योजना' स्थापित करने के प्रति झुकाव प्रदर्शित किया है और अपने देश में हमारे मॉडल को दोहराने की इच्छा रखते हैं। सरकार इन उत्पादों को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है।

10. **साइबर धोखाधड़ी के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए पहल और अभियान:** सुरक्षित बैंकिंग के बारे में ग्राहक जागरूकता बढ़ाने के लिए, आरबीआई "आरबीआई कहता है" पहल के तहत मीडिया/सोशल मीडिया में अभियान चला रहा है। रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 जून, 2020 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से डिजिटल लेनदेन के सुरक्षित उपयोग के संबंध में लोगो को संवेदनशील बनांने के अलावा सभी अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों और प्रतिभागियों को सदस्यों को डिजिटल भुगतान के सुरक्षित और रक्षित उपयोग के संबंध में अपने उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए एसएमएस, प्रिंट और विज़ुअल मीडिया में विज्ञापनों आदि के माध्यम से लक्षित बहुभाषी अभियान चलाने की भी सलाह दी है। आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय ग्राहक जागरूकता में सुधार के लिए नियमित रूप से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बीएएटी) कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आरबीआई ने 22 जून, 2020 और 28 जनवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए अपनाए जाने वाले कुछ सुरक्षा उपायों पर आम जनता को जागरूक किया था।

भाग-दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

बजट विश्लेषण- 2022-23 के दौरान निधियों का उपयोग

1. **वर्ष** 2022-23 **के दौरान**, 16,223.21 **करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि के सापेक्ष मंत्रालय को** 14,300.00 **करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे**, **जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर** 11,719.95 **करोड़ रुपये कर दिया गया था और** 31.01.2023 **की स्थिति तक वास्तविक व्यय** 6060.38 **करोड़ रुपये का रहा। प्रतिशतता के अनुसार देखें तो संशोधित अनुमान के सापेक्ष उपयोग** 51.71% **का हुआ है**, **जिसका अर्थ है कि मंत्रालय को वित्तीय वर्ष** 2022-23 **के अंतिम दो महीनों में शेष** 48.29% **का व्यय करना है। यह पिछले कुछ वर्षों की प्रवृत्ति के विपरीत है जब मंत्रालय आवंटित निधियों का अधिक उपयोग करने में समर्थ रहा है। उपयोग में कमी के कारणों के बारे में पूछे जाने पर समिति को यह जानकारी दी गई कि केंद्रीय क्षेत्र की और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए धन के**

प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया का कार्यान्वयन और कोविड-19 के कारण आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधान वर्ष 2022-23 में निधियों के कम उपयोग के प्राथमिक कारण थे। केंद्रीय क्षेत्र की और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली दो तिमाहियों के दौरान पर्याप्त राशि जारी नहीं की जा सकी और व्यय ने तीसरी तिमाही के दौरान ही गति प्राप्त की, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2023 के अंत तक संशोधित अनुमान आवंटन के 51.71% तक का उपयोग हो सका है।मंत्रालय ने विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत संवितरण प्रस्तावों के लिए आवश्यक संवितरण, जिनकी वर्तमान में जांच की जा रही है, की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए मार्च 2023 के अंत तक संशोधित अनुमान 2022-23 में आवंटित निधियों का पूर्ण उपयोग करने की आशा व्यक्त की है। मंत्रालय द्वारा 2022-23 के दौरान आवंटित निधियों के अति अल्प उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए समिति आशा व्यक्त करती है कि केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में धन के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया अब तक लागू कर दी गई है और कोविड-19 के प्रभावों के कम होने के साथ मंत्रालय मार्च 2023 के अंत तक वर्ष 2022-23 के लिए धन का पूर्ण उपयोग कर पाने में समर्थ होगा।

<u>बजट विश्लेषण - वर्ष 2023-24 के दौरान आवंटन में वृद्धि</u>

2. समिति नोट करती है कि यद्यपि वर्ष 2022-23 के दौरान निधि का कम उपयोग हुआ था, मंत्रालय को वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान स्तर पर 16,549.04 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में लगभग 16% की वृद्धि है। बजट अनुमान 2023-24 में राजस्व प्रावधान में बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में 2268.37 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। बजट अनुमान 2023-24 में बढ़ा

हुआ प्रावधान मुख्य रूप से भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम के लिए 3000 करोड़ रुपये के आवंटन के कारण है भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग एंड मैन्यूफेक्चरिंग (ईएसडीएम) के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस व्यापक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न स्कीमें शामिल हैं। तथापि, बजट अनुमान 2023-24 में पूंजीगत प्रावधान को बजट अनुमान 2022-23 में प्रदान किए गए प्रावधान से 19.33 करोड़ रुपये कम कर दिए गए हैं। यह कमी एनआईसी द्वारा मशीनरी और उपकरणों के लिए धन की कम आवश्यकता के कारण हुई क्योंकि उनकी सेवाएं अब से सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) आधार पर प्रदान की जाएंगी। समिति सिफारिश करती है कि बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में बजट अनुमान 2023-24 में किए गए आवंटनों में लगभग 16% की समग्र वृद्धि, विशेष रूप से भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत बढ़ाए गए आवंटनों, का इष्टतम उपयोग किया जाए। समिति यह आशा करती है कि मंत्रालय द्वारा कम उपयोग के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान के स्तर पर उन्हें कम नहीं किया जाएगा जैसा कि वित्त वर्ष 2022-23 में हुआ था।

<u>बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों (यूसी) की स्थिति</u>

3. समिति नोट करती है कि 31 जनवरी 2023 तक, 355.55 करोड़ रुपये की राशि के कुल 131 उपयोग प्रमाण पत्र बकाया थे। मंत्रालय ने आगे बताया कि उसने लंबित यूसी की संख्या को कम करने के लिए अनेक पहलें की हैं और लंबित यूसी को समाप्त करने के

लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय फलदायी साबित हो रहे हैं क्योंकि किसी विशेष अवधि के लिए लंबित यूसी की राशि के मामले में निरंतर कमी की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। मंत्रालय ने आगे कहा कि 01.04.2022 से 06.02.2023 की अवधि के दौरान, 1332.33 करोड़ रुपये की राशि के उपयोग प्रमाण-पत्रों का निपटान किया गया है। लंबित यूसी की मात्रा को कम करने के साथ-साथ कार्यान्वयन एजेंसियों को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए मंत्रालय विभिन्न परियोजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी अनुदानों का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी/समीक्षा कर रहा है। विभिन्न एजेंसियों को जारी किए गए अनुदान के उपयोग की स्थिति का पता लगाने और अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं के पास लंबित यूसी को शून्य करने तथा व्यय न की गई शेष राशि को न्यूनतम करने का लक्ष्य रखने के लिए समय-समय पर यूसी की स्थिति की भी समीक्षा की जाती है। 1 अप्रैल 2022 से 6 फरवरी 2023 की अवधि के दौरान 1332.33 करोड़ रुपये की राशि के उपयोग प्रमाण पत्रों का निपटान करने में मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए, समिति सिफारिश करती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए इसी दिशा में प्रयास किए जाएं ताकि उपयोग प्रमाण पत्रों के लंबित होने के मामलों के क्रमिक रूप से बढ़ते जाने के कारण बाद में महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं / परियोजनाओं के लिए अनुदान जारी करने पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।इसके अतिरिक्त, समिति यह भी जानना चाहती है कि यह131 यूसी किस अवधि के लिए लंबित हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

<u>राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी)- आईसीटी और ई गवर्नेंस सहायता प्रदान करना</u>

4. समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), जिसे 1976 में स्थापित किया गया था, के पास पिछले 4 दशकों में आईसीटी और ई-गवर्नेंस सहायता प्रदान करने का समृद्ध अनुभव है। आईसीटी नेटवर्क 'एनआईसीनेट' की स्थापना करके एनआईसीएनईटी ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, 37 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और भारत के लगभग 741+ जिला प्रशासनों के साथ संस्थागत संबंधों को सुगम बनाया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में 8000 से अधिक स्थानों पर सरकारी कार्यालयों के 1000 से अधिक एलएएन और 5 लाख से अधिक नोड्स शामिल हैं।एनआईसी के डेटा सेंटर सुरक्षित वातावरण में सरकार की 8000 से अधिक वेबसाइटों को होस्ट करता है।एनआईसी नेशनल क्लाउड (मेघराज) वर्तमान में डिजिटल इंडिया के तहत 1200 से अधिक ई-गवर्नेंस परियोजनाओं/उपयोगकर्ता विभागों को सहायता देने वाले 20,000 से अधिक वर्चुअल सर्वरों पर कई महत्वपूर्ण एप्लिकेशंस की होस्टिंग कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किए जाने के साथ, एनआईसी की भूमिका कई गुणा बढ़ गई है। एनआईसी ने खुद को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के मिशन और दृष्टिकोण के साथ संरेखित किया है।ग्रामीण विकास, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि, उद्योग और वाणिज्य, श्रम और रोजगार, न्यायपालिका, वित्त, शिक्षा आदि को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के लिए मोबाइल, क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स, बीआई और उन्नत जीआईएस सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके जेनेरिक, कंफिगरेबल ई-गवर्नेंस उत्पादों/एप्लिकेशंस को विकसित किया गया है। एनआईसी विभाग की कई मिशन मोड परियोजनाओं सहित विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार रहा है। ई-कोर्ट, वर्चुअल कोर्ट, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान रथ, ई-उर्वरक, ई-ट्रांसपोर्ट, ई-हॉस्पिटल, ई-ऑफिस, ई-वेबिल, कोऑपरेटिव कोर बैंकिंग सॉल्यूशन

(सीसीबीएस), इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी), नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ई-काउंसिलिंग, एनजीडीआरएस, जीईपीएनआईसी, ई-ऑक्शन इंडिया, दर्पण, परिवेश, सर्विसप्लस, ईएचआरएमएस, कोलाबडीडीएस, कोलाबसीएडी, एस3डब्ल्यूएएएस (एक सेवा के रूप में सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य वेबसाइट) आदि कुछ प्रमुख आईसीटी पहलें हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान बजट अनुमान से संशोधित अनुमान तक आवंटन में वृद्धि के संबंध में मंत्रालय ने यह जानकारी दी कि संशोधित अनुमान 2022-23 के दौरान वेतन के बजट मद के अंतर्गत निधियों में वृद्धि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत एनआईसी कर्मचारियों को बकाया राशि के भुगतान के कारण हुई है। 2023-24 के दौरान बजट अनुमान में प्रस्तावित राशि और आवंटन के बीच अंतर के बारे में, यह जानकारी दी गई कि मुख्य रूप से पूंजीगत बजट के तहत धन की आवश्यकता को कम कर दिया गया है।जिसके कारण निधियों की उपलब्धता के आधार पर जिलों में आईसीटी अवसंरचना का उन्नयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जिलों और अन्य सरकारी निकायों को ई-गवर्नेंस सहायता और आईसीटी अवसंरचना के प्रदाता के रूप में एनआईसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, समिति मंत्रालय को एनआईसी की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होने और संगठन के समक्ष आने वाली बाधाओं, विशेष रूप से अवसंरचना से संबंधित चिंताओं को दूर करने की सिफारिश करती है ताकि संसाधनों के अभाव के कारण महत्वपूर्ण आईटी अवसंरचना प्रदान करने और बनाए रखने की उनकी क्षमता प्रभावित न हो।

<u>राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी)- जनशक्ति संबंधी समस्याएं</u>

5. समिति नोट करती है कि 1407 नए पदों (जिसे बाद में 1392 कर दिया गया) के सृजन का प्रस्ताव 2014 से अनुमोदन के लिए लंबित है। यह प्रस्ताव 2014 में शुरू किया गया था और सभी स्तरों पर उचित विचार-विमर्श के बाद माननीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था और मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय (एमओएफ) को प्रस्तुत किया गया था। वित्त मंत्रालय से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की मांग के साथ प्रस्ताव वापस प्राप्त हुआ था, जिन बिंदुओं की विधिवत गठित आंतरिक समिति द्वारा जांच की गई है और फरवरी, 2020 में विस्तृत स्पष्टीकरण को आगे विचार के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय को फिर से प्रस्तुत कर दिया गया है।एमओएफ ने कुछ और टिप्पणियां की हैं और अतिरिक्त जानकारी मांगी है। एमओएफ को पुन: प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक जानकारी संकलित की जा रही है। उपर्युक्त के अलावा, एनआईसी ने राज्यों में नव सृजित जिला केंद्रों में डीआईओ और एडीआईओ के स्तर पर तकनीकी जनशक्ति तैनात करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 212 नए पदों के सृजन के लिए वर्ष 2022 में एक अलग प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना अभी शेष है। इसके अलावा, एनआईसी ने वर्ष 2022-23 में, वीआरएस, इस्तीफे और मृत्यु आदि जिसमें दिसंबर 2023 तक प्रत्याशित रिक्तियां शामिल हैं, के कारण उत्पन्न रिक्तियों के लिए भर्ती एजेंसी एनआईईएलआईटी के माध्यम से वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक-क के स्तर के 754 वैज्ञानिक और तकनीकी (एस एंड टी) समूह-क और समूह-क से नीचे के पदों (मिशन मोड भर्ती (एमएमआर) के तहत 598 एस एंड टी रिक्त पदों सहित) की भर्ती के लिए अभियान भी शुरू किया है। सरकार के लिए प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना प्रदाता के रूप में एनआईसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए समिति मंत्रालय से एनआईसी में संबंधित आवश्यकताओं की समीक्षा करने की

सिफारिश करती है, जिसमें समयबद्ध तरीके से सभी लंबित भर्तियों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके। मंत्रालय समिति को स्वीकृत पदों की संख्या, वास्तविक संख्या, नए पदों के सृजन के प्रस्ताव की स्थिति और सेवानिवृत्ति, वीआरएस, त्यागपत्र और मृत्यु आदि के कारण उत्पन्न रिक्तियों को भरने की स्थिति के संबंध में वर्ष 2014 से अब तक के वर्ष-वार आंकड़ों वाला एक विस्तृत नोट प्रस्तुत करे। समिति को की गई कार्रवाई से भी अवगत कराया जाए।

<u>राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) – उपयोगकर्ताओं के फीडबैक और सुविधाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता</u>

6. समिति नोट करती है कि एनआईसी, एनआईसी ईमेल, ईऑफिस और संदेश इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जैसे कई लोकप्रिय उपयोगकर्ता एप्लिकेशंस प्रदान करता है जिनके उपयोगकर्ताओं की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। एनआईसी ईमेल उपयोगकर्ताओं की संख्या 2019-20 में 23 लाख से बढ़कर 2022-23 में लगभग 32 लाख हो गई है। इसी अवधि के दौरान, ई-ऑफिस उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 2.7 लाख से बढ़कर 8.75 लाख हो गई है। संदेश इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के उपयोगकर्ता 2019-20 में 4618 से बढ़कर 2023-24 में 35 लाख हो गए हैं। नोटिफिकेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए संदेश ऐप को अन्य ई-गवर्नेंस ऐप के साथ भी एकीकृत किया गया है। संदेश के साथ एकीकृत ई-गवर्नेंस ऐप की संख्या 2019-20 में 18 से बढ़कर 2023-24 में लगभग 350 हो गई है। इन एप्लिकेशंस के प्रयोक्ताओं की संख्या को और बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ देश भर में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं और संवादात्मक सत्र आयोजित करना, एनआईसी/एनआईसीएसआई

द्वारा आयोजित मंत्रालयों/विभागों के लिए ई-ऑफिस पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) और उपयोगकर्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए ईमेल पोर्टल और कवच ऐप में वीडियो ट्यूटोरियल जोड़ना आदि शामिल हैं। जबकि एनआईसी उत्पादों/एप्लिकेशंस के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई ये सभी पहलें प्रशंसनीय हैं, समिति का मानना है कि उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूल तरीके से सॉफ्टवेयर उत्पाद/एप्लिकेशन के माध्यम से इसकी सुविधा प्रदान करने के विकल्प के साथ उपयोगकर्ताओं का फीडबैक प्राप्त करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसे इन लोकप्रिय एनआईसी उत्पादों/एप्लिकेशंस के क्रमिक पुनरावृत्तियों/संस्करणों में शामिल किए जाने की आवश्यकता है ताकि इन्हें व्यापक रूप से अपनाए जाने को और अधिक गति दी जा सके। प्रमाणीकरण के लिए कवच ऐप को हाल ही में जोड़ा गया है जिसके परिणामस्वरूप लॉग-इन के लिए अतिरिक्त चरण की आवश्यकता होती है, जिससे प्रक्रिया बोझिल हो जाती है और यह उपयोगकर्ताओं को नियमित रूप से उत्पाद/ऐप तक पहुंचने और उसका उपयोग करने से रोक सकता है। साथ ही साथ इस बात का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या ऐसी सुरक्षा सुविधाओं को इन उत्पादों/ऐप्स को एक्सेस करने पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बिना उपयोगकर्ताओं लिए अधिक अनुकूल तरीके से लागू किया जा सकता है।

<u>साइबर सुरक्षा (सीईआरटी-इन), एनसीसीसी और डाटा गवर्नेंस</u>

7. समिति नोट करती है कि वित्त वर्ष 2022-23 **में बजट अनुमान स्तर पर निधियों का आवंटन** 215 **करोड़ रुपये का था, जिसे संशोधित कर** 180 **करोड़ रुपये, यानी बजट अनुमान का** 84 **प्रतिशत कर दिया गया था।राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) के डाटा सेंटर के लिए को-लोकेशन साइट की अनुपलब्धता के कारण संशोधित अनुमान**

स्तर पर कमी आई थी। 180 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से 120 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग (30.01.2023 तक) किया गया था। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार के तहत इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पोंस टीम (सीईआरटी-इन) को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70वीं के तहत साइबर सुरक्षा वारदात की प्रतिक्रिया के क्षेत्र में राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में सेवा के लिए नामित किया गया है। सीईआरटी-इन ने मौजूदा और संभावित साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में आवश्यक स्थितिजन्य जागरूकता उत्पन्न करने और व्यक्तिगत निकायों द्वारा सक्रिय, निवारक और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए समय पर जानकारी साझा किया जाना संभव करने के लिए एनसीसीसी की स्थापना की है। एनसीसीसी के चरण-I को जुलाई 2017 से चालू कर दिया गया है। एनसीसीसी परियोजना को वित्त वर्ष 2021-22 से सीईआरटी-इन की नियमित गतिविधियों के साथ समामेलित कर दिया गया था। एनसीसीसी स्थापना घटक की बजट आवश्यकता को भी वित्त वर्ष 2021-22 से सीईआरटी-इन के नियमित बजट के साथ मिला दिया गया है। विभिन्न कार्यों को करने के लिए, सीईआरटी-इन नवीनतम साइबर सुरक्षा खतरों और शमन उपायों से निपटने के लिए सिस्टम और समाधान का रख-रखाव कर रहा है और इसे बढ़ा रहा है।वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भौतिक लक्ष्य मुख्य रूप से मौजूदा और जारी गतिविधियों जैसे साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंसिडेंट रिस्पांस और साइबर सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए टूल्स, विश्लेषणात्मक समाधान और साइबर सुरक्षा ड्रिल के लिए टूल्स, सीवीई नंबरिंग प्राधिकरण के लिए सुभेद्यता अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना, सीईआरटी-इन आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर (वेब, ईमेल और सुरक्षा आदि) को वार्षिक रखरखाव के साथ-साथ संवर्धन/उन्नयन के माध्यम से रख-रखाव करना था। इसके अलावा, सीईआरटी-इन का वित्त वर्ष 2022-23 में साइबर सुरक्षा

प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए एक नया मंच, जिसे साइबर अभ्यास सुविधा (सीएएस) के नाम से भी जाना जाता है, स्थापित करने का भी लक्ष्य है।निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई कमी नहीं हो रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के लक्ष्य सीईआरटी-इन गतिविधियों और परियोजनाओं के लिए पूंजीगत आईटी अवसंरचना वस्तुओं (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग) की खरीद के साथ-साथ स्थापना (वेतन, चिकित्सा, यात्रा, कार्यालय व्यय और प्रशिक्षण आदि) के लिए सीईआरटी-इन के सामने आने वाली बाधाओं के संबंध में यह जानकारी दी गई कि सीईआरटी-इन को इंसिडेंट्स और साइबर सुरक्षा संबंधी समस्याओं में तेजी से वृद्धि, ऑनसाइट प्रतिक्रिया सहित इंसिडेंट रिस्पोंस गतिविधियों की तत्काल प्रकृति, वर्तमान में चल रही और नियोजित प्रमुख नई गतिविधियों/परियोजनाओं को बनाए रखने और उभरती प्रौद्योगिकियों और क्षेत्रों से संबंधित साइबर सुरक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए अतिरिक्त जनशक्ति की तत्काल आवश्यकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए सीईआरटी-इन ने विभिन्न स्तरों पर पदों के अतिरिक्त सृजन के लिए पहले ही प्रस्ताव भेज दिया है।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सीईआरटी-इन, जिसे आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 70वीं के तहत साइबर सुरक्षा इंसिडेंट रिस्पांस के क्षेत्र में राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए नामित किया गया है, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय सीईआरटी-इन की आवश्यकताओं को पूरा करने और सामान्य रूप से संगठन के सामने आने वाली बाधाओं तथा विशेष रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी को दूर करे ताकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 70वीं के तहत अनिवार्य रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करने की इसकी क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

<u>डिजिटल इंडिया कार्यक्रम – निधियों के इष्टतम उपयोग की आवश्यकता</u>

8. समिति नोट करती है कि 2023-24 में, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए बजट अनुमान आवंटन 4795.24 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष के दौरान 5376.18 करोड़ रुपये के बजट अनुमान आवंटन की तुलना में 580.94 करोड़ रुपये अथवा लगभग 10.81% कम है। 2022-23 के दौरान वास्तविक उपयोग (31.01.2023 तक) 2100.96 करोड़ का है जो संशोधित अनुमान का लगभग 39% है। यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय को यह आशा है कि वह मार्च 2023 के अंत तक 2022-23 के दौरान आवंटित निधियों का पूर्ण उपयोग कर लेगा, यह जानकारी दी गई कि विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत संवितरण प्रस्तावों की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को मार्च 2023 के अंत तक संशोधित अनुमान 2022-23 में आवंटित निधियों का पूरा उपयोग कर लेने की पूरी उम्मीद है। वर्ष 2023-24 में, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को छोड़कर, इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण और राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को बढ़ावा देने जैसी अन्य प्रमुख योजनाओं को पिछले वर्ष की तुलना में कम आवंटन मिला है। इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आवंटन में कमी के लिए बताए गए कारणों में वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के दौरान व्यय का न होना, जिससे वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में कटौती हुई, और निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया पर स्पष्टता का अभाव शामिल हैं।प्रारंभ में, इस योजना को मॉडल 1 में रखा गया था और अब 8-9 महीने के अंतराल के बाद, योजना को मॉडल 2 में स्थानांतरित किया जा रहा है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे सामाजिक क्षेत्र के कल्याण के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन) को कम आवंटन के संबंध में यह जानकारी दी गई कि एनकेएन का अगला चरण यानी डिजिटल इंडिया इंफोवे (डीआईआई) मंजूरी की प्रक्रिया में है। डीआईआई के अनुमोदित

हो जाने के बाद, एनकेएन को इसमें शामिल कर लिया जाएगा और आवश्यक होने पर अनुदान की अनुपूरक मांग में अतिरिक्त धन की मांग करने के प्रयास किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2021-22 से, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में आवंटित धन के उपयोग में कमी आई है। वित्त वर्ष 2020-21, जब संशोधित अनुमान चरण में आवंटन का लगभग पूरा उपयोग हुआ था, के विपरीत 2021-22 और 2022-23 (31.01.2023 तक) में संशोधित अनुमान चरण पर आवंटन के सापेक्ष उपयोग का आंकड़ा क्रमशः 71% और 30% का ही रहा। सरकार की महत्वपूर्ण उप-योजनाओं को एक साथ जोड़ने वाले प्रमुख डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के महत्व को ध्यान में रखते हुए समिति पुरजोर सिफाशि करती है कि मंत्रालय आबंटित निधियों के उपयोग में सुधार लाए और यह सुनिश्चित करे कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाली उप-योजनाओं का कार्यान्वयन निधियों के कम उपयोग के कारण पटरी से न उतरे।

<u>ईएपी सहित इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस</u>

9. समिति नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के दौरान, योजना में वास्तविक उपयोग 500.64 करोड़ रुपये का रहा है जो संशोधित अनुमान का लगभग 95% है। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर यह जानकारी दी गई कि लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एसडब्ल्यूएएन चालू कर दिए गए हैं। संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख ने स्वान के कार्यान्वयन के लिए नेटवर्क ऑपरेटर का चयन कर लिया है और लद्दाख स्वान के जून 2023 तक लागू हो जाने की उम्मीद है।योजना के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख बाधाओं और उन्हें दूर करने के उपायों के बारे में मंत्रालय ने यह जानकारी दी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस योजना के कार्यान्वयन के लिए

आने वाली प्राथमिक चुनौतियों में डिजिटल साक्षरता, डिजिटल कनेक्टिविटी, सेवाओं तक पहुंच, डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी और सेवाओं को अपनाने के लिए विभागों के बीच जागरूकता/तत्परता शामिल हैं। इन चुनौतियों के अलावा, डिजिटल डिवाइड गैप के लिए यह तथ्य भी जिम्मेदार है कि कमजोर वर्गों से संबंधित अनेक नागरिक डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने से वंचित हैं। बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए उपायों के बारे में यह जानकारी दी गई कि सरकार ने ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए)' और देश की सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों (जीपी) को 100 एमबीपीएस कनेक्टिविटी से जोड़ने के उद्देश्य से भारतनेट परियोजना को लागू करके इन चुनौतियों से निपटने के लिए पहले ही आवश्यक उपाय किए हैं। सरकार डिजिटल रूप से निरक्षर व्यक्तियों को सीएससी के माध्यम से सहायता प्राप्त मोड में सेवाएं भी प्रदान कर रही है और अन्य विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी कदम उठा रही है। इसके अलावा, सरकार डिजिटल सेवाओं के ऑनबोर्डिंग और खपत के लिए नागरिकों के साथ-साथ विभागों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए, समिति आशा व्यक्त करती है कि संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में भी स्वान के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाएगी। मंत्रालय भारतनेट परियोजना के भाग के रूप में पहले ही 100 एमबीपीएस कनेक्टिविटी से जुड़ी ग्राम पंचायतों की कुल संख्या (राज्य-वार) की अद्यतन स्थिति से अवगत कराए क्योंकि यह ईएपी योजना सहित इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में बाधाओं को दूर करने के लिए एक प्रमुख पहल थी।

<u>सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) - उपयुक्त निगरानी तंत्र की आवश्यकता</u>

10. समिति नोट करती है कि कॉमन सर्विस सेंटर - स्पेशल पर्पज व्हीकल (सीएससी-एसपीवी) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ईएपी योजना सहित इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण घटक है। एमईआईटीवाई ने सहायता मोड में प्रत्येक नागरिक को जन सेवाएं प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के नेटवर्क को लागू किया है। सीएससी योजना में नागरिकों को विभिन्न सरकार-से-नागरिक (जी2सी) और अन्य नागरिक केंद्रित ई-सेवाओं की डिलीवरी के लिए देश भर में 2.50 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) में से प्रत्येक में कम से कम एक सीएससी की स्थापना की परिकल्पना की गई है। यह एक स्व-सतत उद्यमिता मॉडल है जिसे ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) द्वारा चलाया जाता है। अक्टूबर 2022 तक, देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में कुल 5,21,225 सीएससी चालू हैं, जिनमें से कुल 4,14,766 सीएससी ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर कार्यरत हैं। देश भर में नागरिकों को सीएससी (सीएससी-एसपीवी पोर्टल) के माध्यम से देश भर में 400+ से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सीएससी की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए)' के कार्यान्वयन और देश की सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों (जीपी) को 100 एमबीपीएस कनेक्टिविटी से जोड़ने के उद्देश्य से भारतनेट परियोजना के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस स्कीम के कार्यान्वयन में आने वाली प्राथमिक चुनौतियों जैसे डिजिटल साक्षरता, डिजिटल कनेक्टिविटी, सेवाओं तक पहुंच, डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी, डिजिटल डिवाइड अंतराल आदि को कम करना भी है। समिति को बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस स्कीम के सफल कार्यान्वयन में सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) की प्रमुख भूमिका है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सीएससी के माध्यम से ई-गवर्नेंस सेवाओं का सफल वितरण कई कारकों पर निर्भर

करता है जैसे कि डिजिटल कनेक्टिविटी की उपलब्धता, सेवाओं तक पहुंच, डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी और समग्र डिजिटल साक्षरता आदि पर निर्भर करती है। कुल सीएससी या उनके माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं की संख्या जैसे पैरामीटर सहायक नहीं हो सकते हैं यदि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और इसलिए ऐसे पैरामीटर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के सफल कार्यान्वयन को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त निगरानी तंत्र स्थापित करने की सिफारिश करती है कि देश भर में 2.50 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) चालू हैं और निर्धारित मानदंडों के अनुसार नागरिकों को ई-गवर्नेंस सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान कर रहे हैं। एक ऐसे उपयुक्त फीडबैक तंत्र विकसित करने की भी आवश्यकता है जिसमें उपयोगकर्ता इन सीएससी के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाने के बारे में अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकें। मंत्रालय की इस स्वीकारोक्ति को नोट करती है कि सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी नहीं है और यह जानना चाहती है कि सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के राज्य सरकारों के साथ सेवाओं के परिदान के लिए क्या आधार है। इस संबंध में समिति चाहती है कि मंत्रालय सीएससी योजना के पहलुओं के क्रियान्वयन की जाँच करें।

<u>इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर) को प्रोत्साहन</u>

11. समिति नोट करती है कि इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर) को प्रोत्साहन' योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के बाद से आवंटित निधियों के उपयोग में क्रमिक रूप से गिरावट आई

है, जिसमें वास्तविक उपयोग 2019-20 में 95% से घटकर 2020-21 में 68%, 2021-22 में 59% और 2022-23 में केवल 17% का हो गया है। इस स्कीम में संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस), इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी), ईएमसी 2.0, इलेक्ट्रॉनिकी विकास निधि (ईडीएफ) और इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर्स के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (स्पेक्स) उप-योजनाएं शामिल हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित और प्रोत्साहित किया जा सके और घरेलू मूल्यवर्धन और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। इस योजना के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख बाधाओं में घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में अक्षमता शामिल है जो घरेलू विनिर्माण को कम प्रतिस्पर्धी बनाती है। घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में अक्षमता में योगदान करने वाले तीन सबसे महत्वपूर्ण कारकों में अवसंरचना की स्थिति, बिजली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता और वित्त की लागत शामिल हैं। प्रौद्योगिकी परिवर्तन की विविधता और गति घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने में एक और महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में सामने आते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉनिकी व्यापक है और इसका विस्तार अनेक क्षेत्रों तक है, इसलिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों, एप्लिकेशंस, उपकरणों, प्रणालियों और सॉफ्टवेयर के बीच इसका अभिसरण, प्रौद्योगिकी से जुड़े परिवर्तनों को निरंतर आगे ले जा रहा है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकियों की हाफ-लाइफ लगातार कम हो रही है और कुछ वर्टिकल्स में इसके छह महीने से भी कम होने का अनुमान है। इसको ध्यान में रखते हुए, समिति आवेदकों को वित्तीय प्रोत्साहनों के संवितरण में तेजी लाने के उपाय करने की सिफारिश करती है ताकि लक्षित लाभार्थियों को समय पर वित्तीय प्रोत्साहन जारी करना सुनिश्चित किया जा सके। यदि आवश्यक हो, तो योजना की प्रभावकारिता को देखने के लिए एक व्यापक अध्ययन भी कराया जाए।

<u>डिजिटल भुगतान को बढ़ावा</u>

12. समिति नोट करती है कि डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम को बढ़ावा देना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक अनिवार्य पहलू है और यह समावेशी वित्तीय सेवाओं का विस्तार करके भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने की क्षमता है। इस योजना के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर, ग्रामीण और अन्य अप्रयुक्त क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान स्वीकृति अवसंरचना में वृद्धि करना, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख व्यापारों की पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में डिजिटल भुगतानों का एंड-टू-एंड एकीकरण, देश भर में सरकारी क्षेत्र में डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देना, फिनटेक डोमेन में स्टार्टअप को बढ़ावा देना और सक्षम बनाना, मजबूत शिकायत निवारण तंत्र और घरेलू भुगतान मोड (रुपे कार्ड और यूपीआई) के अंतर्राष्ट्रीयकरण सहित डिजिटल भुगतान में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना शामिल हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डिजिटल भुगतान योजना को बढ़ावा देने के लिए बजटीय आवंटन में वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर काफी वृद्धि की गई थी। वर्ष 2022-23 के दौरान बजट अनुमान स्तर पर आवंटित राशि की तुलना में संशोधित अनुमान स्तर पर इस योजना के आवंटन में दस गुना वृद्धि के संबंध में मंत्रालय ने जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, बजट में यह घोषणा की गई थी कि 'पिछले बजट में घोषित डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम के लिए वित्तीय सहायता 2022-23 में जारी रहेगी'। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट घोषणा के अनुपालन में, अप्रैल 2022 से एक वर्ष की अवधि के लिए रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति-से-व्यापारी) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को जनवरी, 2023 में मंजूरी दी गई थी, जिसमें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान में वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 के लिए, 890.65 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि के मुकाबले, इस

योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।वर्ष 2023-24 के दौरान प्रस्तावित राशि की तुलना में योजना के लिए बढ़े हुए आवंटन के उपयोग के संबंध में, समिति को अवगत कराया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 के साथ-साथ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बढ़े हुए आवंटन का उपयोग रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति-से-व्यापारी) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना के लिए किया जाना है। समिति का मानना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की योजना के लिए बजट में की गई वृद्धि सही दिशा में उठाया गया कदम है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करे ताकि कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। समिति का मत है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ-साथ डिजिटल भुगतान के लिए मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित करने के प्रयास भी होने चाहिए। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में किए गए विशिष्ट उपायों से अवगत कराया जाए।

<u>डिजिटल भुगतान को बढ़ावा - अलग-अलग हितधारकों के बीच समन्वय का अभाव</u>

13. समिति नोट करती है कि मंत्रालय डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनेक गतिविधियां चला रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) डिजिटल भुगतान के लिए व्यापारियों, व्यक्तियों और बैंकों को प्रोत्साहित करना; (ii) ई-रुपी, यूपीआई123पे, यूपीआई लाइट भीम 2.0और एईपीएस जैसे अभिनव भुगतान समाधानों का शुभारंभ; (iii) डिजिटल भुगतान स्वीकृति अवसंरचना और डिजिटल भुगतान डैशबोर्डका विकास,

जागरूकता और क्षमता निर्माण जैसी पहलें; (iv) फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देना; और (v) साइबर धोखाधड़ी के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए अभियान शामिल हैं। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि देश में डिजिटल लेनदेन की संख्या वर्ष 2019-20 में 4572 करोड़ लेनदेन से लगभग दोगुनी होकर वर्ष 2021-22 में लगभग 8840 करोड़ लेनदेन की हो गई है तथा यह बढ़त भविष्य में जारी रहने की भी संभावना है। तथापि, भुगतान के डिजिटल तरीकों को व्यापक रूप से अपनाने के साथ, डिजिटल लेनदेन से संबंधित धोखाधड़ी में वृद्धि की संभावना है, जिसे सुरक्षा उपायों, त्वरित प्रतिक्रिया, एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र आदि को अपनाने के माध्यम से रोकने की आवश्यकता है। डिजिटल भुगतान क्षेत्र में अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा सामना किए जाने वाली समस्याओं को हल करने के लिए नोडल एजेंसी के बारे में पूछे जाने परमंत्रालय ने बताया किया है कि 13.02.2017 की राजपत्र अधिसूचना, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार, "डिजिटल भुगतान सहित डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा" से संबंधित मामला इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयको आवंटित किया गया है। इसके अलावा, पीएसएस अधिनियम, 2007 (संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम) भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का उपबंध करता है और आरबीआई को उस उद्देश्य और सभी संबंधित मामलों के लिए प्राधिकरण के रूप में नामित करता है। उपर्युक्त अधिनियम वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रशासित है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट करने में जनता को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) लॉन्च किया है। समिति ने विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक प्रकार के डिजिटल भुगतान मोड के लिए

धोखाधड़ी के मामलों की कुल संख्या और इस तरह की धोखाधड़ी की प्रकृति के बारे में आंकड़े की मांग की थी। तथापि, इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिए जाने तक मंत्रालय द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी। समिति चाहती है कि इसे शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। समिति ने आगे नोट करती है कि 1500 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट के प्रावधान सहित सभी प्रयासों का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है, लेकिन डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में विभिन्न हितधारकों जैसे फिनटेक ऐप प्रदाताओं, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, संबंधित बैंकों, आरबीआई, साइबर अपराध के लिए एमएचए पोर्टल, स्थानीय पुलिस आदि जो वर्तमान में एक साथ काम कर रहे हैं, के बीच समन्वय पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वर्तमान परिदृश्य में, डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के पीड़ितों को दर-दर भटकना पड़ता है और उन्हें कई हितधारकों से निपटना पड़ता है जिससे उनका और अधिक उत्पीड़न होता है और जिसके परिणामस्वरूप लोग डिजिटल भुगतान से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट करने से सामान्यतया बचते हैं। समिति डिजिटल भुगतान से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक नोडल एजेंसी बनाने की पुरजोर सिफारिश करती है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करने में अत्यधिक सहायक हो सकती है तथा डिजिटल भुगतान से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों में मानक संचालन प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल का पालन कर सकती है। जिससे पीड़ित परेशान न हों और उचित समय सीमा के भीतर अपने नुकसान की भरपाई करने में समर्थ हों। समिति चाहती है कि इस संबंध में हुई प्रगति से उसे अवगत कराया जाए।

<u>डिजिटल भुगतान को बढ़ावा- धोखाधड़ी को दूर करने के लिए केंद्रीयकृत डाटा रिपोजिटरी की आवश्यकता</u>

14. डिजिटल भुगतान से संबंधित समस्याओं के लिए नोडल एजेंसी के बारे में, समिति को अवगत कराया गया कि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) लॉन्च किया है, ताकि जनता महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं को रिपोर्ट कर सके। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस प्रणाली से जोड़ा गया है, जिसमें लगभग 177 बैंक, ई-वॉलेट, यूपीआई सेवा प्रदाता, ई-कॉमर्स कंपनियां आदि शामिल हैं। ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी/शिकायतें दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री नंबर 1930 शुरू किया गया है। जबकि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल सामान्य रूप से साइबर अपराध और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों के खतरे को रोकने में गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक बड़ी पहल है, कुछ ऐसे अस्पष्ट क्षेत्र भी हैं जिनसे संबंधित समस्याओं को अभी भी संबोधित किया जाना बाकी है। कई मामलों में डिजिटल भुगतान से संबंधित धोखाधड़ी में शामिल राशि पीड़ित के लिए औपचारिक शिकायत, जिसमें नुकसान की वसूली के लिए समय, ऊर्जा और कानूनी लागत खर्च आदि शामिल हो सकते हैं, करने और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिहाज से छोटी और इसलिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है। अन्य मामले ऐसे हो सकते हैं जिनमें वास्तविक धोखाधड़ी की बजाय सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से या ईमेल/एसएमएस के जरिए से कुछ आकर्षक डील्स के माध्यम से किसी लक्षित व्यक्ति को मजबूर करने का असफल प्रयास किया गया हो और लक्षित व्यक्ति एक पहले से बरती जाने वाली सावधानी के उपाय के रूप में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस बारे में रिपोर्ट/फ्लैग/अधिसूचित करना चाहे अथवा सूचना अग्रेषित करना चाहे ताकि दूसरों को जाल में फंसने से रोका जा सके। हो सकता है कि उपरोक्त दोनों मामलों में, गृह

मंत्रालय का राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पीड़ित या इच्छुक पीड़ित की मदद करने में सक्षम नहीं हो। ऐसी घटनाओं को रिपोर्ट न किए जाने से रोकने के लिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि ऐसे मामलों में जहां पीड़ित औपचारिक शिकायत करने के इच्छुक नहीं हो सकते होंअथवा डिजिटल भुगतान से संबंधित धोखाधड़ी के प्रयास के मामलों में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक केंद्रीकृत डेटाबेस/हेल्पलाइन या नोडल एजेंसी बनाए जहां ऐसी घटनाओं को पीड़ितों/इच्छुक पीड़ितों द्वारा रिपोर्ट किया जा सके और जहां ऐसी जानकारी का उपयोग डिजिटल भुगतान से जुड़ी धोखाधड़ी की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किया जा सके। इस तरह का डेटाबेस अत्यधिक शैक्षणिक और अनुसंधान के लिए मूल्यवान होने के साथ न केवल भविष्य में धोखाधड़ी के मामलों को रोकने में मददगार हो सकता है, बल्कि डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में अन्य हितधारकों जैसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), कानून प्रवर्तन एजेंसियां, सीईआरटी-इन, एनसीसीसी, फिनटेक, दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी), बैंक, आरबीआई आदि के लिए बहुत मूल्यवान हो सकता है। समिति चाहती है कि उसे इस मामले में होने वाली प्रगति से अवगत कराया जाए।

<u>भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना</u>

15. समिति नोट करती है कि भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम को 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 15.12.2021 को देश में टिकाऊ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए अनुमोदित किया गया था। इस योजना की संकल्पना आत्मनिर्भर

भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए की गई थी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल), मोहाली के आधुनिकीकरण और व्यावसायीकरण के लिए अपेक्षित कदम उठाने का अधिदेश दिया गया है। यह योजना (क) भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहन, (ख) भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना, (ग) कम्पाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब एंड सेमीकंडक्टर असेंबली की स्थापना, (घ) भारत में टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/ओएसएटी सुविधाएं और (ङ) डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) स्कीम संबंधी प्रावधान है। समिति आगे नोट करती है कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण बहुत जटिल और गहनप्रौद्योगिकी वाले उद्योग हैं, जिसमें भारी पूंजी निवेश, उच्च जोखिम, लंबी प्रयोजनावधि और पेबैक अवधि और प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव के कारण अत्यधिक और निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है। भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के कार्यक्रम को पहले से ही सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम स्थापित करने वाले देशों द्वारा दिए गए आक्रामक प्रोत्साहनों और उन्नत नोड प्रौद्योगिकियों के स्वामित्व वाली कंपनियों की सीमित संख्या को देखते हुए और अधिक संशोधित किया गया है। इस संशोधित कार्यक्रम का उद्देश्य सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की बढ़ती उपस्थिति के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला होगा। यह कार्यक्रम सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ डिजाइन में कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में एक नए

युग की शुरुआत करेगा। इस योजना के तहत अब तक की उपलब्धियों के बारे में यह जानकारी प्रदान की गई कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) की स्थापना डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में की गई है, जिसके पास सेमीकंडक्टर विकसित करने और विनिर्माण इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने के लिए भारत की रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उद्योग में वैश्विक विशेषज्ञों के नेतृत्व में आईएसएम योजनाओं के कुशल, सुसंगत और सुचारू कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास संबंधी कार्यक्रम के तहत कुल 29 आवेदन प्राप्त हुए हैं। भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के तहत तीन (3) एप्लिकेशन; भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना के तहत 2 एप्लिकेशन; भारत में कंपाउंड और एटीएमपी सुविधाओं की स्थापना के तहत 3 आवेदन; और डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 21 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आईएसएम ने भारत में कम्पाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब एंड सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग (एटीपीएमपी)/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना संबंधी योजना के तहत अनुमोदन के लिए एक आवेदन की सिफारिश की है। आईएसएम ने भारत में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित संबंधी योजना के अंतर्गत अनुमोदन के लिए एक आवेदन की भी सिफारिश की है। वृहत पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना 01.04.2020 को अधिसूचित की गई थी। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए पात्र कंपनियों को 5 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्षित उत्पादों जैसे मोबाइल फोन

और विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के तहत कवर की गई वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर (आधार वर्ष पर) 3% से 6% का प्रोत्साहन प्रदान करती है। आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को 03.03.2021 को अधिसूचित किया गया था। यह योजना चार साल (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25) की अवधि के लिए लक्षित सेगमेंट - लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) और सर्वर के अंतर्गत माल की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर 4% से 2% / 1% का प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस योजना के तहत लक्षित आईटी हार्डवेयर खंडों में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) और सर्वर शामिल हैं। समिति को यह जानकारी

दी गई है कि योजना सफलतापूर्वक चल रही है। दिसंबर 2022 तक, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना के तहत, 2,39,609 करोड़ रुपये का उत्पादन; 5,124 करोड़ रुपये का निवेश और 52,509 का रोजगार हासिल किया गया है।

इसके अलावा, दिसंबर 2022 तक आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना ने 4138 करोड़ रुपये का उत्पादन, 129 करोड़ रुपये का निवेश और 514 प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की हैं। इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम का दूसरा चरण तैयार किया जा रहा है। इस तरह के जटिल और संपूर्ण प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग, जिसमें भारी पूंजी निवेश, उच्च जोखिम, लंबी प्रयोजनावधि और पेबैक अवधि के साथ-साथ प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव के लिए महत्वपूर्ण और निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है और पहले से ही सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम स्थापित करने वाले देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है तथा जहां उन्नत नोड प्रौद्योगिकियों की स्वामित्व वाली कंपनियां सीमित संख्या में हैं, को प्रोत्साहित करने के लिए योजना शुरू करने के लिए मंत्रालय की सराहना करते हुए समिति को आशा है कि दोनों प्रमुख योजनाएं वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की बढ़ती उपस्थिति के लिए मार्ग प्रशस्त करने में मदद करेंगी।

नई दिल्ली;
17, मार्च 2023
26 **, फाल्गुन 1944 (शक)**

प्रतापराव जाधव,
सभापति,
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी
संबंधी स्थायी समिति।